श्रम की दुनिया

आईएलओ की पत्रिका

अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय
जेनेवा

संकट को समाप्त करना :
विश्व नेताओं ने वैश्विक रोजगार संधि तैयार की

संख्या 37, दिसम्बर 2009

इस अंक में

संकट के अनेक रूप : ऑटोमोबाइल उद्योग • कंस्ट्रक्शन क्षेत्र • सामाजिक संरक्षण • सामाजिक संवाद • बलात श्रम • बाल श्रम • अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, 2009 : आईएलओ रोजगार शिखर सम्मेलन

'सम्मिलित' होने के अधिकार से संगठित होने के अधिकार की ओर

© सभी अधिकार सुरक्षित

वर्ष 1913 में न्यूयार्क के यूनियन स्क्वेयर पर शहर भर के नाई एकत्र हुए। वे हड़ताल पर थे। इस चित्र में उन्हें जे.जे. इटोर संबोधित कर रहे हैं।

वर्ष 1750 से, यूरोप में श्रमिकों ने संगठित होना प्रारंभ कर दिया। इस पर सरकारों और नियोक्ताओं ने तत्काल प्रतिक्रिया देनी शुरू की। उन्होंने श्रमिकों की इन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून और नियम बनाने शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन में, वर्ष 1799 का कॉम्बिनेशन ऐक्ट्स 25 वर्षों तक लागू रहा। इनमें अन्य प्रतिबंधों के साथ, श्रमिकों के संगठित होने पर भी रोक लगाई गई थी।

किंतु तब तक 'कम्बाइन' यानी 'सम्मिलित' होने के अधिकार को लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया था। वार्सेल्स की संधि और वर्ष 1919 के मूल आईएलओ संविधान ने सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए संगठन की स्वतंत्रता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की, जो कि आगे चलकर संगठन की स्थापना की समस्त सिद्धांतों में से एक बना।

फिर भी, शुरुआती वर्षों में आईएलओ इस अधिकार को आधार देने के लिए आवश्यक मानकों को स्वीकृत करने में सफल नहीं हो सका। हालांकि 1920 के दशक के अंत में अनेक प्रयास किए गए। यहां तक कि संगठन के अधिकार (कृषि) पर केंद्रित समझौते (संख्या 11), जिसे वर्ष 1921 में स्वीकृत किया गया, को भी इस प्रकार तैयार किया गया था, कि उसमें संगठित होने के अधिकार की कोई व्याख्या नहीं थी। यह इस समझौते की सबसे बड़ी त्रुटि थी।

हालात बदले, वह भी तब, जब आईएलओ ने दो प्रमुख समझौते स्वीकृत किए– समझौता संख्या 87 और 98[1], जिनमें संगठन ने संगठन के अधिकार और संगठित होने एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को शामिल किया था।

60 वर्ष बाद, इन दोनों समझौतों को आईएलओ के 183 में से 149 और 159 सदस्य देशों ने संपुष्टि प्रदान कर दी है। इन्हें राष्ट्रीय संविधानों और कानूनों में भी संहिताबद्ध कर दिया गया है।

संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि नियोक्ता व श्रमिकों को बातचीत और परस्पर समझौते में समान रूप से अपनी बात कहने का मौका मिले और इससे मिलने वाला परिणाम समान रूप और न्यायोचित हो। सामूहिक सौदेबाजी से दोनों ही पक्षों को निष्पक्ष रोजगार संबंध बनाने में मदद मिलती है और श्रम विवादों पर होने वाले व्यय से बचा जा सकता है।

वर्ष 1951 में आईएलओ ने शिकायत प्रक्रिया की शुरुआत की जो नियोक्ता व श्रमिक संगठनों को इस बात का अधिकार देती थी कि अगर संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार का किसी प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है तो वे इसके संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर सदस्य देश द्वारा इस समझौते की संपुष्टि नहीं की गई है तो भी वे शिकायत पेश कर सकते थे। संगठन की स्वतंत्रता पर आईएलओ की समिति और अन्य निरीक्षण प्रक्रियाओं को यह सुनिश्चित करना था कि संगठन की स्वतंत्रता, जो मूलभूत मानवाधिकार है, को विश्व भर में सम्मान प्राप्त हो। यहां तक कि गैर सदस्य देशों के खिलाफ शिकायतों को भी सुना जाता था।

यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि समझौते में श्रमिकों और नियोक्ताओं के अधिकार शामिल थे : आईएलओ के निरीक्षण निकायों के समक्ष प्रस्तुत सीमित, किंतु महत्वपूर्ण मामलों ने नियोक्ताओं का बचाव किया।

सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रियाएं एक प्रमुख तत्व थीं जिन्होंने कोरिया गणराज्य को वर्ष 1997 के एशियाई वित्तीय संकट से निपटने में सहयोग दिया और शिकायत प्रक्रिया ने दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद बाद के दौर में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए समर्थ बनाया। आईएलओ मानकों ने सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित किया और यह सुनिश्चित करने में मदद की कि अच्छे श्रम संबंध सभी के लिए हितकर होते हैं।

संगठन की स्वतंत्रता का सिद्धांत, आईएलओ के मूल्यों के केंद्र में है : यह आईएलओ संविधान (1919), आईएलओ के फिलाडेल्फिया घोषणापत्र (1944) और कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों के आईएलओ घोषणपत्र (1998) में प्रतिष्ठापित हैं। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र (1948) में भी इन अधिकारों को उदघोषित किया गया है।

[1] *संगठन की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित समझौता, 1948 (संख्या 87) और संगठित होने के अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी पर केंद्रित समझौता, 1949 (संख्या 98)*

आईएलओ की पत्रिका
श्रम की दुनिया

श्रम की दुनिया पत्रिका का प्रकाशन जेनेवा में आईएलओ के जन संपर्क ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इस पत्रिका का प्रकाशन चाइनीज़, चेक, डेनिश, अंग्रेज़ी, फ़िनिश, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, जापानी, नार्वेजियन, रूसी, स्लोवाक, स्पैनिश और स्वीडिश भाषाओं में भी होता है।

सम्पादक
मे हॉफ्मन अयरमार्क
प्रोडक्शन मैनेजर
किरन मेहरा – कर्पल्मन
प्रोडक्शन असिस्टंट
कोरीन लुचीनी
फ़ोटो संपादक
मार्सेल क्रोज़ेट
कला निर्देशन
एमडीपी, आईएलओ, ट्यूरिन
कवर डिज़ाइन
एम्. मॉन्तेसानो, आईएलओ ट्यूरिन
कवर फ़ोटो – एम. क्रोज़ेट
संपादकीय बोर्ड
टामस नेट्टर (अध्यक्ष), भाारलट बोशां, मे हॉफ्मन अयरमार्क, किरन मेहरा–कर्पलमन, को. रिन पर्थिस, हैन्स फ़ॉन रोलैंड

यह पत्रिका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं है। पत्रिका में व्यक्त विचार आवश्यक रूप से आईएलओ के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हैं। पत्रिका में अभिव्यक्त विशिष्ट उल्लेख किसी भी देश, क्षेत्र या उपक्षेत्र और उनके प्रशासन या उनकी सीमाओं के बारे में आईएलओ के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हैं।

पत्रिका में कंपनियों या वाणिज्यिक उत्पादों या प्रक्रियाओं का उल्लेख आईएलओ द्वारा उन्हें मान्यता देना नहीं है और किसी निश्चित कंपनी, वाणिज्यिक उत्पाद या प्रक्रिया का उल्लेख रह जाना उनके प्रति आईएलओ की असहमति नहीं है।

पत्रिका के आलेखों या छायाचित्रों (फ़ोटो एजेंसियों के छायाचित्रों को छोड़कर) का, स्रोत का उल्लेख करके स्वतंत्रता से पुनःउपयोग किया जा सकता है। लिखित सूचना का स्वागत होगा।

सभी पत्र व्यवहार निम्न पते पर किये जाएं:–

Neelam Agnihotri
Communications & Information Unit
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
Subregional Office for South Asia
Theatre Court, 3rd Floor
India Habitat Centre
Lodi Road, New Delhi-110003
Tel: 011-24602101-02-03
email: sro-delhi@ilodel.org

मुद्रक: विबा प्रेस प्रा० लि०,
नई दिल्ली–110 020
आईएलओ ट्यूरिन द्वारा प्रकाशित
आइएसएसएन : 1020.0010

आर्थिक और सामाजिक संकट को समाप्त करना

विश्व व्यापी स्तर पर तेजी से बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी और असमानता के मद्देनजर और जून, 2009 में उद्यमों के लगातार धराशायी होने के बाद, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय नीतियों को दिशानिर्देश देने के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक रोजगार संधि की रूपरेखा तैयार की जिसका उद्देश्य आर्थिक बहाली को उत्प्रेरित करना, रोजगार सृजन करना और श्रमशील लोगों एवं उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है।

पृष्ठ-4

© एम क्रोजेट / आईएलओ

आमुख कथा

आर्थिक और सामाजिक संकट को समाप्त करना : विश्व नेताओं ने वैश्विक रोजगार संधि तैयार की 4

सामान्य लेख

सम्मेलन की रिपोर्ट
अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2009 : विश्व भर के नेताओं ने आईएलओ की 'वैश्विक रोजगार संधि' को समर्थन दिया 8

संकट के पीछे के चेहरे 10

संकट और ऑटोमोबाइल उद्योग का भविष्य
एक बेहतर कल को मिलेगी रफ्तार 12

कंस्ट्रक्शन उद्योग में संकट 16

बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस 2009
बालिकाओं को एक मौका दीजिए 18

आईएलओ बैठक में तेल एवं गैस उद्योग में संकट के प्रभाव पर हुई चर्चा 20

संकट के समय सामाजिक संवाद : अतीत से सबक 22

फीचर बुक

उत्कृष्ट समाज का निर्माण :
विकास में सामाजिक संरक्षण की भूमिका पर पुनर्विचार 24

नियमित स्तंभ

समाचार 26
- अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन
- अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक
- 90 वर्ष पर आईएलओ : पांच महाद्वीपों में सामाजिक न्याय के लिए कार्यरत
- बलात श्रम का सामाजिक और आर्थिक मूल्य
- जलवायु परिवर्तन और रोजगार
- एचआईवी पॉजिटिव, लाइफ भी पॉजिटिव

महाद्वीपों के इर्द–गिर्द 37

नए प्रकाशन 40

1919 में गठित, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) अपने 175 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक मंच पर लाता है ताकि विश्व भर में जीवन और कार्य की परिस्थितियों तथा संरक्षण में सुधार के लिए एक समान कार्रवाई की जा सके। जेनेवा में स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, संगठन का स्थाई सचिवालय है।

आर्थिक और सामाजिक संकट को समाप्त करना : विश्व नेताओं ने वैश्विक रोजगार संधि तैयार की

© आईएलओ फोटो

विश्व व्यापी स्तर पर तेजी से बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी और असमानता के मद्देनजर और जून, 2009 में उद्यमों के लगातार धराशायी होने के बाद, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय नीतियों को दिशानिर्देश देने के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक रोजगार संधि की रूपरेखा तैयार की जिसका उद्देश्य आर्थिक बहाली को उत्प्रेरित करना, रोजगार सृजन करना और श्रमशील लोगों एवं उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है।

आईएलओ के तीन दिवसीय वैश्विक रोजगार शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों व सरकार प्रमुखों, उपराष्ट्रपति और श्रम मंत्रियों, श्रमिक व नियोक्ता प्रतिनिधियों तथा अन्य नेताओं के व्यापक समर्थन के पश्चात वैश्विक रोजगार संधि स्वीकृत की गई। इस सम्मेलन ने जी–20 में आईएलओ की व्यापक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया। इस वर्ष अप्रैल में लंदन में आयोजित एक बैठक में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के मद्देनजर, आईएलओ का आह्वान किया गया कि 'अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ मिलकर संगठन अब तक की कार्रवाई का आकलन करे और भविष्य के लिए अपेक्षित कार्यों की रूपरेखा तैयार करे।'

इस सम्मेलन में आईएलओ के 183 सदस्य देशों के चार हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान संगठन के महानिदेशक हुआन सोमाविया ने कहा, 'यह आपकी, वास्तविक अर्थव्यवस्था के नेताओं की जिम्मेदारी है कि आप हमें इस संकट से उबारें। आप श्रमिकों और उनके परिवारों, नियोक्ता और उद्यमों तथा सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व नेताओं ने हमें बताया है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है जिसमें व्यापक अवसरों, रोजगार और श्रमशील लोगों की सुरक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस परिवर्तन के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसा निवेश एवं विकास किया जाए जो इस संकट के लिए दीर्घकालीन समाधान का मार्ग प्रशस्त करे। हमारे वर्तमान के लिए अगर यह एक चुनौती है तो भविष्य का अध्यादेश भी।'

आर्थिक संकट की विश्वव्यापी प्रतिक्रिया का दूसरा पहलू है यह वैश्विक रोजगार संधि, यह इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह आईएलओ के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर की गई है। इसके अंतर्गत सरकारों और श्रमिक एवं नियोक्ता संगठनों का आह्वान किया गया है कि वे आईएलओ की उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची के समानांतर नीतियों के माध्यम से आर्थिक संकट से निपटने के लिए सामूहिक स्तर पर कार्य करें।

इससे पहले आईएलओ की एक रिपोर्ट में बताया गया था

कि विश्व स्तर पर बेरोजगारी में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और बड़े पैमाने पर फैली गरीबी का स्तर स्थायित्व पर आ गया है। इसके पश्चात यह रोजगार संधि अस्तित्व में आई। सम्मेलन के दौरान श्री सोमाविया ने बताया कि आईएलओ के अनुमानों के अनुसार, अगर इस वर्ष या अगले वर्ष तक भी विश्व संकट की बहाली होती है तो भी रोजगार संकट छह से आठ वर्षों तक कायम रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हर वर्ष श्रम बाजार में साढ़े चार करोड़ लोग दाखिल होते हैं, जिनमें से अधिकतर युवा पुरुष और महिलाएं होती हैं। अगर संकट से पूर्व के बेरोजगारी स्तर को हासिल करना है, तो भी विश्व अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षों तक 30 करोड़ नए रोजगार सृजित करने होंगे।

रोजगार संकट को लक्षित करने के उद्देश्य से सम्मेलन में उद्यमों की भूमिका, रोजगार नीतियों, सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकारों, सामाजिक संवाद, विकास समन्वय और क्षेत्रीय एवं बहुस्तरीय समन्वय पर भी चर्चा की गई।

वैश्विक रोजगार संधि संकट प्रतिक्रिया उपायों को भी प्रस्तावित करती है जिन्हें विभिन्न देश अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुसार स्वीकृत कर सकते हैं। यह संधि सभी स्थितियों के लिए एक समाधान के फार्मूले पर नहीं चलती। इसमें अनेक विकल्प हैं जिन्हें अनेक प्रकार की जांच और परीक्षणों के बाद विकसित किया गया है। इस संधि को बहुपक्षीय स्तरों पर सूचना देने और कार्रवाई को समर्थन देने के लिए भी तैयार किया गया है।

संधि में लोगों को रोजगार में बनाए रखने, उद्यमों को कायम रखने, आर्थिक विघटन के दौरान लोगों की सुरक्षा करने, रोजगार सृजन को गति देने और रोजगार बहाली के उपायों को अपनाने का आग्रह किया गया है। साथ ही, ऐसी सामाजिक संरक्षण प्रणाली को अपनाने को कहा गया है जिसमें सर्वाधिक संवेदनशील लोगों को शामिल किया जाए, जिसमें महिलाओं के

© एम क्रोजेट / आईएलओ

हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए।

संधि में 'वित्तीय क्षेत्र के लिए विश्व स्तर पर अधिक स्थायित्व प्रदान करने वाली निरीक्षण प्रणाली और नियामक ढांचे के निर्माण का आह्वान किया गया है जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आए, दीर्घकालीन उद्यमों और उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहन मिले और लोगों की बचत एवं पेंशन को सुरक्षित रखा जा सके।' यह संधि 'कुशल और सही तरह से नियंत्रित व्यापार और बाजारों को प्रोत्साहित करने के लिए परस्पर समन्वय और सुरक्षात्मक रवैये से बचने का आह्वान करती है, जो सभी को लाभांवित कर सके।' यह निम्न कार्बन >>

© एम क्रोजेट / आईएलओ

© एम क्रोजेट / आईएलओ

>> वाली, पर्यावरण मित्र अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरण का आह्वान भी करती है जिससे रोजगार बहाली को गति मिले।

इस संधि में सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे संरचनात्मक निवेश करें, विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाएं, सामाजिक संरक्षण को व्यापक बनाएं एवं न्यूनतम वेतन को बढ़ाएं। विशेष रूप से विकासशील देशों में, ऐसे उपायों के माध्यम से गरीबी कम होती है, मांग बढ़ती है और आर्थिक स्थिरता में योगदान मिलता है। संधि में दाता देश और बहुपक्षीय संस्थाओं से अनुदान प्रदान करने पर विचार करने का आग्रह किया गया है, विशेष रूप से संधि की सिफारिशों और नीति विकल्पों के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा संकट संसाधनों पर।

श्री सोमाविया ने कहा, आईएलओ को चाहिए कि वह उन सभी संघटकों को सहायता प्रदान करे, जो संधि में दिए गए उपायों को कार्यान्वित करना चाहते हैं। साथ ही संगठन को बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने बल दिया कि संधि इस बात को लेकर नहीं की गई है कि सरकारें कितना अधिक से अधिक खर्च कर सकती हैं, बल्कि वह इस बात पर जोर देती है कि ये सरकारें किस प्रकार खर्च करें।

श्री सोमाविया ने कहा, 'हमें इस प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देना है। भविष्य के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर, एक समान अभिलाषाओं को जगाना है। हम सब मिलकर कार्य करेंगे और एक साथ मिलकर, सफलता हासिल करेंगे।'

'नियोक्ता इस वैश्विक रोजगार संधि को अपना समर्थन देते हैं क्योंकि यह आर्थिक बहाली के लिए आवश्यक नीति प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देगी', सम्मेलन के दौरान कमिटी ऑफ द होल ऑन क्राइसिस रिस्पांस के नियोक्ता उपाध्यक्ष डैनियल फ्यून्स द रोजिआ ने कहा, 'नियोक्ता, श्रमिक संघों और सरकारों ने इस संकट को लक्षित करने के लिए वास्तविक एवं व्यावहारिक समाधान की तलाश कर ली है। वैश्विक रोजगार संधि पर सहमति बनाने के बाद, अब असल काम किया जाना है। आईएलओ, श्रमिक संघों और नियोक्ताओं, एवं सरकारों के सामने यह चुनौती है कि किस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतिबद्धता को व्यावहारिक बनाएंगे जिससे असल रोजगार, असल आय सृजित हो, आर्थिक बहाली में योगदान मिले। इसमें नियोक्तों को अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभानी है।'

© आईएलओ फोटो

© आईएलओ फोटो

सम्मेलन के दौरान कमिटी ऑफ द होल ऑन क्राइसिस रिस्पांस के श्रमिक उपाध्यक्ष लेरॉय ट्रॉटमैन ने कहा, 'हम सरकारों और एक आम महिला एवं पुरूष को दृष्टिकोण, परिवर्तन और वास्तविकता का संदेश दे रहे हैं। आज यह संधि सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं को इसे असलियत में बदलना है। इसमें सामाजिक संवाद और मजबूत श्रम बाजार संस्थानों के प्रति सरकारों की प्रतिबद्धता भी शामिल है। बहाली के लिए सकल मांग, सामाजिक संरक्षण और सामाजिक संवाद और सामूहिक सौदेबाजी में वृद्धि अपेक्षित है। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी है कि जब श्रमिक संगठित होकर, अपने सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करें, तब नियोक्ताओं की ओर से कोई हस्तक्षेप न किया जाए। अगर हम नाकामयाब होते हैं तो हमारा समाज घाटे में जाएगा। अगर हम कामयाब होते हैं तो मैं यह दावे से कह सकता हूं कि भविष्य के इतिहासकार कहेंगे– आईएलओ ने उद्देश्य को पूरा किया।'

वैश्विक रोजगार पर आर्थिक संकट का प्रभाव

मई 2009 में प्रकाशित वैश्विक रोजगार प्रवृत्तियों (गेट) में आईएलओ ने वर्ष 2009 के बेरोजगारी के अनुमान को बढ़ाकर, 21 करोड़ 30 लाख से 23 करोड़ 90 लाख, प्रस्तुत किया है। इस प्रकार बेरोजगारी दर भी 6.5 प्रतिशत की अपेक्षा 7.4 प्रतिशत हो गई है।

गेट के इस अपडेट में वर्ष 2007 से अब तक बेरोजगार लोगों की संख्या 3 करोड़ 90 लाख से 5 करोड़ 90 लाख के बीच हो गई है। असली निष्कर्ष इस बात पर निर्भर करेंगे कि सरकारों द्वारा निर्धारित वित्तीय परिव्यय कितना कारगर साबित होता है और वित्तीय क्षेत्र किस प्रकार कार्य करते हैं।

श्रमशील निर्धनों के संशोधित अनुमान संकेत देते हैं कि वर्ष 2007 से 2009 के बीच 20 करोड़ लोग दो अमेरिकी डॉलर प्रति दिन से भी कम पर जीवनयापन करने वाले लोगों के समूह में शामिल हो सकते हैं।

इस संकट ने युवाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। वर्ष 2008–09 के दौरान बेरोजगार युवाओं की संख्या 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 70 लाख तक बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2008 में अगर युवाओं की बेरोजगारी दर में 12 प्रतिशत बढ़ोतरी होने का अनुमान है तो वर्ष 2009 में इसके 14 से 15 प्रतिशत बढ़ने की आशंका है।

गेट के अनुसार, वर्ष 2009 रोजगार सृजन के लिहाज से सबसे बुरा साल रहा। रिपोर्ट में रेखांकित किया है कि विश्व स्तर पर श्रम शक्ति 1.6 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ रही है, जो कि हर वर्ष 4 करोड़ 50 लाख नए लोगों के श्रम बाजार में दाखिल होने के समान है, जबकि वर्ष 2008 में वैश्विक रोजगार वृद्धि में 1.4 प्रतिशत की कमी आई और वर्ष 2009 में इसके और गिरने की आशंका है, यानी 0 से 1 प्रतिशत तक।

आईएलओ विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2009–2015 की अवधि के दौरान श्रम शक्ति में वृद्धि को आत्मसात करने के लिए 30 करोड़ नए रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है।

रोजगार पर संकट का प्रभाव : क्षेत्रीय प्रवृत्तियां

- इस वर्ष विकसित अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ में, कुल रोजगार में 1.3 से 2.7 प्रतिशत की कमी आएगी। यह क्षेत्र बेरोजगारी में 35 से 40 प्रतिशत वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, इसके बावजूद कि यहां विश्व की कुल श्रमशक्ति का 16 प्रतिशत बसता है।
- वर्ष 2009 में मध्य व दक्षिण पूर्व यूरोप (गैर यूरोपीय संघ) और सीआईएस में, बेरोजगारों की संख्या में 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यहां कुल रोजगार में 1 से 2.8 प्रतिशत की कमी का अनुमान है।
- पूर्वी एशिया में, अनुमान है कि संकट के प्रारंभ में 26 करोड़ 70 लाख लोग, जोकि कुल रोजगार प्राप्त लोगों के एक तिहाई हिस्से से भी अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, दो अमेरिकी डॉलर प्रति दिन से भी कम पर जीवनयापन कर रहे थे। यहां बेरोजगार लोगों से 12 गुना अधिक लोग ऐसे रोजगार कर रहे हैं जो कभी भी खत्म हो सकते हैं।
- दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत में भी बेरोजगारी में बढ़ोतरी की आशंका है, हालांकि यहां निर्यात आधारित उद्यमों के श्रमिक सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।
- दक्षिण एशिया में, लगभग पांच प्रतिशत श्रमशक्ति बेरोजगार है जबकि 15 गुना लोग रोजगार तो कर रहे हैं लेकिन उनके रोजगार कभी भी खत्म हो सकते हैं। वर्ष 2007 से वर्ष 2009 के दौरान दो अमेरिकी डॉलर प्रति दिन से कम पर जीवनयापन करने वाले श्रमिकों की संख्या 5 करोड़ 80 लाख होने का अनुमान है।
- लैटिन अमेरिका में, वर्ष 2007 के दौरान बेरोजगारी दर में 7.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी, और वर्ष 2009 में 8.4 और 9.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की आशंका है।
- मध्य पूर्व में, आईएलओ ने वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2009 में बेरोजगारी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी और उत्तरी अफ्रीका में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। दोनों क्षेत्रों में संवेदनशील रोजगार में भी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यहां हर तीन में से एक श्रमिक संवेदनशील रोजगार, यानी ऐसे रोजगार में लगा हुआ है जो कभी भी खत्म हो सकते हैं और यह अनुमान हर 10 में से चार व्यक्ति तक पहुंच सकता है।
- उप सहारा अफ्रीका में 73 प्रतिशत श्रमिक संवेदनशील रोजगार कर रहे हैं और इस वर्ष इसके 77 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस वित्तीय संकट ने ढांचागत और पूंजी उत्पादों में निवेश को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है जोकि इस क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए निर्णायक है। संकट की प्रतिक्रिया में, वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद को होने वाली संभावित हानि को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय श्रम

विश्व भर के नेताओं ने आईएलओ की 'वै

इस वर्ष 15 से 17 जून को आयोजित वैश्विक रोजगार शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों व सरकार प्रमुखों, उपराष्ट्रपति और श्रम मंत्रियों, श्रमिक व नियोक्ता प्रतिनिधियों तथा अन्य नेताओं ने वैश्विक रोजगार संधि को व्यापक समर्थन दिया। इस सम्मेलन ने उन नीतियों पर विचार विमर्श के लिए पहला अवसर प्रदान किया जिन्हें वैश्विक रोजगार संकट को लक्षित करने के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जाना है।

'हमें इस सच्चाई का सामना करना है कि, आईएलओ के आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष 4 करोड़ 50 लाख नए लोग श्रम बाजार में दाखिल होते हैं, और यह आने वाले वर्षों में बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष जैसे गंभीर खतरे पैदा करेगा।'

श्री लेक काजिनिस्की, राष्ट्रपति, पोलैंड

'फिनलैंड वैश्विक रोजगार संधि को अपना समर्थन देता है जिसके माध्यम से श्रमिकों, उनके परिवारों और उद्यमों की तात्कालिक आवश्यकताओं को लक्षित किया जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण है कि सरकारें और सामाजिक भागीदार मिलकर इस पहल को मूर्त रूप दें।'

सुश्री तारजा हेलोनेन, राष्ट्रपति, फिनलैंड

'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट श्रम बाजार पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकता था, और हमारे समाज को अस्थिर कर सकता था। हमें पूरा विश्वास है कि आईएलओ, जोकि श्रम मामलों का विशेषज्ञ है, इस संकट के नकारात्मक असर को कम करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।'

श्री अरमांडो गुएबुजा, राष्ट्रपति, मोजांबीक

'ऐसे समय में, जब अनेक प्रतिमान विघटित हुए हैं, आईएलओ राजनैतिक, नीतिगत और नैतिक संदर्भ में सुरक्षा का अहसास दिलाता है। इसे आईएलओ महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत वैश्विक रोजगार संधि के प्रस्ताव में देखा जा सकता है। इस प्रस्ताव में उस नए मॉडल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके परिणाम के तौर पर संपत्ति का केंद्रीकरण कम होगा, परस्पर भाईचारा कायम होगा और मानवता एवं निष्पक्षता का मार्ग प्रशस्त होगा।'

श्री लुइज इनासिओ लुला द सिल्वा, राष्ट्रपति, ब्राजील

'जिस कांति का मैं, हम सबके लिए आह्वान कर रहा हूं, वह इस विचार पर आधारित है कि विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय विवादों, विशेष रूप से व्यापार विवादों में भाग लेना चाहिए – वह भी हितों को पहुंची हानि के आधार पर। आइए हम सब एक वैश्विक अभिशासन का सृजन करें जिससे जैसे ही आईएलएओ के मूलभूत मानकों का उल्लंघन हो, संगठन विश्व व्यापार संघ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के समक्ष अपनी बात जोरदार ढंग से रख सके।'

श्री निकोलस सारकोजी, राष्ट्रपति, फ्रांस

सम्मेलन 2009

श्विक रोजगार संधि' को समर्थन दिया

'जब आप लोगों को यह कहते सुनते हैं कि इस साल दुनिया के पांच करोड़ लोगों ने अपना रोजगार गंवाया है, तो सिर्फ यह कह देने भर से काम नहीं चलता कि यह एक भयानक बात है। यह सिर्फ आंकड़ेबाजी भी नहीं है : यह लोगों पर आई भयानक विपत्ति की कहानी है। इसका मतलब यह है कि पांच करोड़ लोगों का जीवन संकट में है। जब हम लोग विशुद्ध अर्थशास्त्र या आंकड़ों पर चर्चा करें, तो हमें सबसे पहले इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए।'

सुश्री किस्टीना फर्नाण्डेज द किश्चनर, राष्ट्रपति, अर्जेंटीना

'इतिहास ने जितनी भी चुनौतियां पेश की हैं, आईएलओ ने निर्भीकता से उन सभी का सामना किया है। संगठन की इस क्षमता की हमें सराहना करनी चाहिए। आईएलओ ने उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहित करते हुए उसे सामाजिक प्रगति के मुख्य वाहक के रूप में प्रस्तुत किया और आज उसे आर्थिक जोखिम के रूप में नहीं देखा जाता। इसे दीर्घकालीन विकास की अनिवार्य शर्त स्वीकार किया जाता है।'

श्री फ्यूरे इसोजिमना ग्नासिंगबे, राष्ट्रपति, टोगो

'बुर्किना फासो..... आईएलओ महानिदेशक के वैश्विक रोजगार संधि के प्रस्ताव को स्वीकृत करता है जो रोजगार और सामाजिक संरक्षण को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपायों के केंद्र में रखती है और संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। अगर इस संकट को नहीं सुलझाया गया तो हम बहुत जल्द, बहुत बड़े सामाजिक संकट का सामना करेंगे।'

श्री टेरिटिअस जोंगो, प्रधानमंत्री, बुर्किना फासो

'समृद्धि हासिल करने की दौड़ में, हम एक दूसरे को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में नहीं देखना चाहते। इसकी बजाय हम चाहते हैं कि एक रिले रेस की तरह, हम एक दूसरे की मदद करते हुए गरीबी, भुखमरी, अल्प विकास और अस्थिरता को हराएं। उन पर जीत पाएं। यह एक नई वैश्विक योजना और ऐसी संरचना बनाने का समय है जिसमें विकसित और विकासशील, सभी देश शामिल हों और जिसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और आईएलओ शामिल हों।'

श्री ब्रूस गोल्डिंग, प्रधानमंत्री, जमैका

'मुझे यकीन है, आप लोग इस बात पर सहमत होंगे कि इस मौजूदा संकट से बाहर निकलने के लिए– ऐसे संकट से बचने के लिए भी– यह आवश्यक है कि विकास के लिए रोजगार केंद्रित रवैया अपनाया जाए। यह हमारे संविधान में भी सन्निहित है। इसमें यथोचित वेतन का अधिकार भी है और इसके तहत राज्य को ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने को कहा गया है जिसमें मानव व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, मानव श्रम की सहायक हो।'

सुश्री शेख हसीना, प्रधानमंत्री, बांग्लादेश

सभी फोटो पर आईएलओ फोटो/वीडियो का सर्वाधिकार © है।

संकट के पीछे के चेहरे

श्रम यह निर्धारित करने का सबसे बड़ा साधन है कि किस प्रकार लोग वर्तमान का अनुभव करते हैं और भविष्य की संभावनाओं को तलाशते हैं। आईएलओ ने 21वीं शताब्दी के लिए अपनी उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची बनाते समय, आम लोगों के सपनों और अभिलाषाओं को आधार बनाया है : श्रम की दुनिया यहां अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका में संकट से प्रभावित हुए लोगों के सामने तीन प्रश्न रख रही है और उनके अनुभवों को जानना चाहती है।

एस.ए., 30 वर्ष, गारमेंट फैक्ट्री वर्कर, जकार्ता, इंडोनेशिया

1. आपने अपनी नौकरी कैसे गंवाई?

जिस कारखाने में मैं काम करता था, वह पिछली जनवरी को दिवालिया हो गई। हमारे यहां बनने वाले कपड़े अमेरिका और यूरोप में निर्यात होते थे। आर्थिक संकट के चलते हमारे कारखाने को ऑर्डर मिलने कम हो गए और मालिक ने कारखाने को बंद कर दिया। उसने हम 1300 श्रमिकों को मुआवजा देने से भी इनकार कर दिया। उसने हमें सिफारिशी पत्र देने से भी इनकार कर दिया जिसकी मदद से हम दूसरी नौकरी के लिए आवेदन दे सकते थे।

2. क्या आप लोग इस स्थिति के लिए तैयार थे?

बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा कारखाना 20 साल पुराना था। मैं वहां नौ सालों से काम कर रहा था। वहां काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं थीं। उनमें से कुछ ने तो गांव वापस जाने का फैसला कर लिया, बाकी अपने पतियों की आय पर निर्भर हो गईं।

3. आप इस स्थिति में सरकार/सामाजिक भागीदारों से क्या अपेक्षा करते हैं?

हमने इस मामले को सरकार और अपनी संसद के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस समस्या का समाधान करने में हमारी मदद करेगी। वह मध्यस्थ का काम करेगी जिससे हम श्रमिकों और कारखाना मालिक आपस में मिलें और सामूहिक तौर पर एक समाधान तलाशें। इस समय मैं यही आशा कर सकता हूं।

वी.एन., 30 वर्ष, इकोनॉमिक एनालिस्ट नई दिल्ली, भारत

1. आपने अपनी नौकरी कैसे गंवाई?

मैं एक वेंचर कैपिटल (वीसी) कंपनी में काम करता था जिसकी स्थापना 2008 की शुरुआत में हुई थी। उस समय भारत में रिअल एस्टेट का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा था। हमारी कंपनी को एक बड़ी रिअल एस्टेट कंपनी का समर्थन प्राप्त था। हमारी कंपनी की फंडिंग इसी कंपनी पर निर्भर थी। जब भारतीय बाजार धराशायी हुए, यह रिअल एस्टेट कंपनी अपने निवेश लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद हमारी कंपनी निष्क्रिय हो गई।

2. क्या आप लोग इस स्थिति के लिए तैयार थे?

नहीं, चूंकि हम एक वीसी में काम करते थे, हमने सोचा था कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। लेकिन जब हमें अपनी कंपनियों/फर्म्स को चलाने के लिए वित्त की जरूरत पड़ी, हमारे बैकर्स ने वीसी फंड में पैसा ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, चूंकि वह खुद धराशायी हो गए थे। जनवरी 2009 से बाजार की हालत और बुरी हो गई और सारा का सारा कारोबार रुक गया, क्योंकि नए या चलते हुए प्रॉजेक्ट्स में लगाने के लिए पैसा ही नहीं था।

यह बहुत हैरान करने वाली बात थी कि कंपनी बंद हो गई। बहुत सी मीटिंग्स हुईं– बातचीत हुई लेकिन सबकी सब बेकार साबित हुईं। कंपनी को छोटा करने और यहां तक कि वेतन कटौती के प्रस्तावों को भी रिअल एस्टेट कंपनी ने नहीं माना और यह तय किया गया कि कंपनी बंद कर दी जाए।

3. आप इस स्थिति में सरकार/सामाजिक भागीदारों से क्या अपेक्षा करते हैं?

मैं नई गठित सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि वह इस सामाजिक आर्थिक समीकरण को एक बार फिर से देखे और मौजूदा नियामक ढांचे का पुनर्गठन करे। ऐसी प्रतिरोधक प्रणाली होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि लोगों का रोजगार न छिने और वे सुरक्षित स्थिति में रहें। आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए लोग या तो आधे से भी कम वेतन पर काम करने को विवश हैं या जिन क्षेत्रों में उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त हैं, उन क्षेत्रों की बजाय दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इससे लोगों में असुरक्षा की भावना आ रही है और मानव संसाधन के शोषण के मौके बढ़ रहे हैं।

वी.एस., 42 वर्ष, इंजीनियर, रिसर्च एंड प्रॉडक्शन इंटरप्राइज, मिंश्क, बेलारूस

1. आपने अपनी नौकरी कैसे गंवाई?

मैं इस कंपनी में 15 सालों से काम कर रहा था। हमारी कंपनी व्यक्तिगत ठेकों के लिए काम करती थी, यह कंप्यूटर इंजीनियर टेक्नीक बनाती थी। इससे और दूसरी सहयोगी सेवाओं से अपेक्षित लाभ मिलने बंद हो गए। परिणाम के तौर पर हमारे वेतन कम हो गए और इसके बाद प्रबंधन ने छंटनी शुरू कर दी।

2. क्या आप लोग इस स्थिति के लिए तैयार थे?

सही कहूं तो मैं इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था– क्योंकि यह सब बहुत जल्दी हो गया। मैं वेतन कटौती से खुश नहीं था लेकिन मैं दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढ रहा था।

3. आप इस स्थिति में सरकार/सामाजिक भागीदारों से क्या अपेक्षा करते हैं?

मैं खुद को एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्राप्त कर्मचारी समझता हूं और मैं दूसरे किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल नहीं करना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में मेरी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले रोजगार केंद्रों से मुझे नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे। फिलहाल मुझे राज्य की ओर से दिया जाने वाला छोटा सा बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है।

एम.के., 45 वर्ष, एकाउंटेंट, येरेवान, अर्मीनिया

1. आपने अपनी नौकरी कैसे गंवाई?

मैं फर्नीचर बनाने वाली छोटी सी एक कंपनी में एकाउंटिंग क्लर्क का काम करता था। कंपनी बंद हो गई और मेरी नौकरी चली गई।

2. क्या आप लोग इस स्थिति के लिए तैयार थे?

मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी नौकरी जाएगी। मैं समझता था कि बाजार में फर्नीचर की मांग कभी कम नहीं होगी।

3. आप इस स्थिति में सरकार/सामाजिक भागीदारों से क्या अपेक्षा करते हैं?

मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य की तरफ से मुझे एक नौकरी दिलाई जाएगी। मुझे राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता भी मिलता रहेगा। वैसे मुझे यह उम्मीद नहीं कि इस उम्र में मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। मैं 45 वर्ष का हूं।

एन. पी., 49 वर्ष, श्रिंप पैकेजिंग कंपनी में वर्कर सामुत प्रकर्ण प्रांत, थाईलैंड

1. आपने अपनी नौकरी कैसे गंवाई?

मैं झींगों, मछलियों और स्विड की पैकेजिंग करने वाली एक कंपनी में पिछले 15 सालों से काम कर रहा था। हर महीने मुझे वेतन के रूप में 4500 बहात (312 अमेरिकी डॉलर) मिलते थे। इससे अधिक वेतन मुझे कभी नहीं मिला। एक मार्च को मैं रोज की तरह काम पर गया। करीब दस बजे के करीब, मुझे और आठ अन्य कर्मचारियों को कार्मिक विभाग में बुलाया गया। वहां हमें कहा गया कि हमें आगे से काम पर आने की जरूरत नहीं। कार्मिक अधिकारी ने इसके लिए आर्थिक संकट की दुहाई दी।

2. क्या आप लोग इस स्थिति के लिए तैयार थे?

मैं इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैं एक मजदूर नेता हूं और सोचता हूं कि मेरी बर्खास्तगी की यही वजह थी। कानूनन मुझे मुआवजे के तौर पर दस महीने की तनख्वाह दी जाएगी।

3. आप इस स्थिति में सरकार/सामाजिक भागीदारों से क्या अपेक्षा करते हैं?

मैंने श्रम मंत्रालय के रोजगार विभाग में अपना पंजीकरण कराया है। मैं 180 दिनों तक अपने वेतन की आधी राशि के बराबर सामाजिक संरक्षण भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकृत हूं। मेरी उम्र के कर्मचारी के लिए दूसरी नौकरी ढूंढना मुश्किल काम है। मैंने परंपरागत थाई मालिश सीखने के लिए आवेदन किया है। यह पाठ्यक्रम बैंकॉक मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी चलाती है और यह निशुल्क है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वहां से मुझे बुलाया जाएगा।

ए. आर., 33 वर्ष, कंप्यूटर इंजीनियर, सैंटियागो द चिली, चिली

1. आपने अपनी नौकरी कैसे गंवाई?

हालांकि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं लेकिन बहुत समय से विभिन्न कंपनियों के सेल्स विभाग में काम कर रहा हूं। इससे पहले मैं एक गारमेंट कंपनी में काम करता था जहां मेरी तनख्वाह तो कम थी लेकिन मेरी नौकरी स्थायी थी। पर पिछले तीन महीने के दौरान कंपनी ने आर्थिक मंदी के चलते बहुत से लोगों को नौकरी से निकाला, जिनमें मैं भी शामिल था।

दो हफ्तों बाद, मुझे एक एनर्जेटिक ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में सेल्स का काम मिल गया पर यहां मेरी नौकरी सुरक्षित नहीं थी... इन दिनों नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है, सिर्फ सेल्स पर्सन के लिए ही नहीं। मैं एक से दूसरी कंपनी में गया और सभी जगह मुझे बताया गया कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में वे किसी प्रकार के निवेश का जोखिम नहीं उठाना चाहते।

2. क्या आप लोग इस स्थिति के लिए तैयार थे?

नहीं, मैं तैयार नहीं था और इसीलिए स्थितियां और मुश्किल हो गईं। मेरे परिवार को इस नई स्थिति से तालमेल बैठाने में वक्त लगा। मेरी पत्नी ने कुछ छुटपुट काम तलाश लिया। कुछ समय के लिए उसने घर–घर जाकर कपड़े बेचे जिसकी मदद से हम अपना कर्ज उतार पाए। अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए मैंने तमाम तरह के काम किए जिनका मेरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं था।

3. आप इस स्थिति में सरकार/सामाजिक भागीदारों से क्या अपेक्षा करते हैं?

मैं सोचता हूं कि राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों को विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के रोजगार को समर्थन देने के लिए कार्यक्रम शुरू करने चाहिए– मुझ जैसे लोगों को अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए जिनके पास स्थायी नौकरियां नहीं हैं।

ए. डब्ल्यू., 51 वर्ष, फ्लावर प्लांटेशन वर्कर, अदिस अबाबा, इथियोपिया

1. आपने अपनी नौकरी कैसे गंवाई?

फूलों का निर्यात कम होने लगा तो मेरी नौकरी चली गई। मुझे बताया गया कि यूरोप और अमेरिका के आर्थिक संकट के चलते हमारी कंपनी घाटे में चली गई है। मैं ठेके पर काम करती थी इसलिए उन चंद शुरुआती लोगों में शामिल थी, जिनकी छंटनी सबसे पहले की गई। उन्हें मुझे मुआवजा भी नहीं देना पड़ा। अब मैं देख रही हूं कि नियमित कर्मचारियों को भी नौकरियों से निकाला जा रहा है। वे लोग कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संकट ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है, हालांकि मैं इतनी पढ़ी–लिखी नहीं कि यह समझ सकूं।

2. क्या आप लोग इस स्थिति के लिए तैयार थे?

मैं पांच बच्चों की मां हूं। मैं इतना नहीं कमाती थी कि बचत कर सकूं। मैं इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, न तो वित्तीय रूप से, न ही मनोवैज्ञानिक तौर पर। मैं सोचती हूं कि मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा : मैं बच्चों के स्कूल की फीस कैसे भरूंगी, खाने–पीने, बिजली, आने–जाने का खर्चा कैसे उठाऊंगी।

3. आप इस स्थिति में सरकार/सामाजिक भागीदारों से क्या अपेक्षा करते हैं?

सरकार सिर्फ नियमित कर्मचारियों की चिंता करती है। मैं सोचती हूं कि उसे ठेके पर काम करने वालों के बारे में भी सोचना चाहिए। मुझ जैसे लोगों को कोई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। मैं टैक्स भरती हूं इसलिए मेरे साथ बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए ...।

© आईएलओ/गिल बटन

संकट और ऑटोमोबाइ
एक बेहतर कल

© फोटो–लिब्रे. एफआर

चार साल पहले आईएलओ की त्रिपक्षीय बैठकों में भाग लेने वाले ऑटो निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि क्या कभी कल्पना कर सकते थे कि उन्हें ऐसे वित्तीय संकट से रूबरू होना पड़ेगा। वैश्विक आर्थिक संकट ने ऑटोमोबाइल्स की मांग पर जबरदस्त असर डाला। एंड्रयू बिबी ने पिछले कुछ महीनों का जायजा लिया। इस दौरान वह ऑटो सेक्टर के कुछ सम्मानित नामों से परिचित हुए जिन्होंने मौजूदा संकट का बहुत बुद्धिमत्ता से सामना किया। इसके अतिरिक्त एंड्रयू इस क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की भी पड़ताल कर रहे हैं।

किंतु वर्ष 2005 की आईएलओ बैठक के निष्कर्ष और यह आह्वान कि ऑटोमोटिव उद्योग में 'सामाजिक संवाद को उद्योग की स्थायी विशेषता होना चाहिए', अब प्रासंगिक लग रहे हैं, यह देखते हुए कि सामाजिक भागीदार ही मौजूदा संकट को सुलझाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

अमेरिका में यह विशेष रूप से दिखाई दे रहा है जहां ऑटो वर्कर्स यूनियन यूएडब्ल्यू के नियंत्रण वाले न्यासों के पास जनरल मोटर्स और क्रिसलर, दोनों पुनर्गठित कंपनियों का सह स्वामित्व आने वाला है। यूरोप में भी यूरोपीय मेटलवर्कर्स फेडरेशन, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव सप्लायर्स के साथ मिलकर इस उद्योग में होने वाले परिवर्तनों के पूर्वाभास के लिए यूरोपीय सहभागिता विकसित कर रहा है। यह पहल उद्योग को कायम रखने और गुणवत्तापरक रोजगार को बरकरार रखने के लिए की जा रही है।

इस वर्ष मई में आईएलओ ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर, इस संकट से निपटने के लिए विशेष बैठक की। जैसा कि आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया कहते हैं, इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, दीर्घकाल के लिए रणनीतियां बनाना, किंतु सबसे पहले अल्पावधि के समाधान तलाशे जाने चाहिए।

उनकी इस चुनौती पर अनेक भागीदारों ने चर्चा की। उदाहरण के लिए उद्योग की प्रमुख कंसल्टिंग फर्म ऑटोपोलिस के डॉ. जॉन वॉरमाल्ड ने इस बात पर बल दिया कि उद्योग के लिए एक नए कारोबारी मॉडल की जरूरत है। जैसे उत्पाद का अधिक टिकाऊ होना, जिससे नई कार की कीमत में 30 प्रतिशत तक की कमी आएगी। दूसरी ओर नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी (यूएस) में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बैरी ब्ल्यूस्टोन ने इस प्रस्ताव को क्षेत्र में सामाजिक संबंधों के पुनर्आकलन की आवश्यकता से जोड़ा। उन्होंने कहा : 'ऑटोमोटिव उद्योग क्या बनाता है और कैसे बनाता है, इस विषय पर सोचने के साथ–साथ नियोक्ता और श्रमिक संघों के सामाजिक संबंधों पर भी एक बार फिर से सोचने की जरूरत है।'

सामाजिक भागीदारी के माध्यम से मोटर उद्योग का पुनर्गठन

एमआईटी इंस्टीट्यूट फॉर वर्क एंड इंप्लॉयमेंट रिसर्च (यूएस) के थॉमस ए. कोचन ने सहमति जताई : 'हमें वित्तीय राहत से अधिक की आवश्यकता है। हमारे सामने यह चुनौती है कि हम ऑटो उद्योग के लिए नया सामाजिक अनुबंध विकसित करें, कार्यस्थलों की स्थितियों को समझें और श्रमिकों–नियोक्ताओं और सभी भागीदारों को संलग्न करें।' उन्होंने बैठक के दौरान यह बात कही।

ऑटो उद्योग की कहानी 20 वीं शताब्दी के औद्योगिक उत्पादन की व्यापक कहानी का मुख्य तत्व कहा जा सकता है, चूंकि एसेंबली लाइन वर्किंग का विकास, टेलरिस्ट सिद्धांत को व्यवहार में ले आया था जोकि कार्य को टुकड़ों में करने पर निर्भर करता था। यह वह उद्योग था जिसने औद्योगिक हड़ताल भी देखी थी और सामाजिक सहभागिता भी। उदाहरण के लिए जीएम के मामले में, वर्ष 1937 में कंपनी ने श्रमिकों की तरफ से सौदेबाजी के लिए यूएडब्ल्यू की भूमिका को स्वीकार किया और फ्लिंट, मिशिगन में कंपनी के ऑटो प्लांट की हड़ताल खत्म हुई और इससे

इल उद्योग का भविष्य
को मिलेगी रफ्तार

युद्ध के बाद आर्थिक व सामाजिक सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्ष 1950 में जीएम ने न केवल देश के सकल घरेलू उत्पाद में तीन प्रतिशत का योगदान दिया बल्कि देश में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया जहां कर्मचारियों को अच्छा वेतन और सामाजिक लाभ मिलते थे।

आज ऑटो उद्योग विश्व भर में रोजगार का मुख्य स्रोत है। आईएलओ के हाल के एक बीफ्रिंग पेपर में सुझाव दिया गया है कि वर्ष 2004 में विश्व स्तर पर 84 लाख लोग ऑटोमोटिव प्रॉडक्शन (मैन्यूफैक्चरिंग और कॉम्पोनेंट फर्म्स सहित)में कार्य कर रहे थे : यूरोप में लगभग 20 लाख, चीन में 16 लाख से अधिक, उत्तरी अमेरिका में 11 लाख, रूसी संघ और जापान में 750,000 लोग। इनके अलावा दूसरे देशों में भी बहुत से लोग इस क्षेत्र में कार्यरत थे। आईएलओ की रिपोर्ट में वर्ष 2007 तक इस श्रमशक्ति के एक करोड़ हो जाने की संभावना जताई गई थी।

यही आंकड़े, ऑटो उद्योग की मौजूदा समस्या को समझने के लिए काफी है और यही चिंता का कारण भी है। लेकिन मोटर वाहन का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से स्टील उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन करता है। अमेरिका के स्वतंत्र थिंकटैंक इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की पिछले साल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका में 33 लाख नौकरियां, देश के कार निर्माताओं के सुनहरे भविष्य पर निर्भर करती हैं।

>>

आईएलओ गोलमेज के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दे

© एस क्रोजेट / आईएलओ

अनुसंधान पर गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रमुख मुद्दे उठाए गए :

- प्रबल कारोबारी मॉडल को निगमों की व्यापक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा गया। इसके बाद कुछ प्रशासक लाभपरकता और अंशधारी मूल्यों पर ध्यान देने लगे, तो कुछ अनुसंधान और विकास पर मध्यम दर्जे के निवेश को हानिकारक समझने लगे। नतीजतन, ऑटो उद्योग अब तक जलवायु परिवर्तन और तेल पर निर्भरता की चुनौतियों पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे पाई है।
- ऑटो निर्माताओं के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा और कीमत को लेकर चलने वाली प्रतिद्वंद्विता ने लागत में कटौती की रणनीति को रास्ता दिखाया है जिससे श्रमिकों और कम्पोनेंट प्रॉड्यूसर्स से उनके संबंधों पर असर पड़ा है। श्रमिकों के लिए इसके यह मायने हैं कि वे निम्न स्तर वाले श्रम करने को बाध्य हो रहे हैं, जैसे उन्हें ठेके पर काम करना पड़ रहा है। कम्पोनेंट प्रॉड्यूसर्स पर खर्च कम करने का दबाव बढ़ रहा है जिससे जोखिम बढ़ने की आशंका है।
- जिन मामलों में, अल्पावधि के लाभ और लागत–हस्तांतरण के कारोबारी मॉडल की जगह ठोस वित्तीय, तकनीकी और श्रम प्रस्तावों ने ले ली है, कंपनियों और श्रमिकों की संवेदनशीलता बढ़ रही है और प्रमुख कर्ताओं के बीच संघर्ष शुरू हो गया है, जो इसकी विपरीत स्थिति में संकट का सामना मिलकर करते थे।
- विभिन्न देशों, कंपनियों और कर्मचारियों पर इस आर्थिक संकट का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। उदाहरण के लिए अमेरिका के ऑटोमोटिव उद्योग का जिस तरह पुनर्गठन हुआ और उस पर असर पड़ा, यूरोप और जापान के बाजार पर वही असर देखने को नहीं मिला। इस बीच, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के घरेलू बाजारों, जैसे चीन, भारत और ब्राजील में एक अलग ही प्रवृत्ति देखने को मिली। यहां अनेक टिकाऊ उत्पादों, जैसे वाहनों के घरेलू उपभोग में बढ़त देखी गई। विश्व स्तर पर विलय और अधिग्रहण हो रहे हैं और भारत एवं चीन जैसे देशों में नई घरेलू कंपनियों में वृद्धि हो रही है और वे विश्व स्तर की खिलाड़ी बन रही हैं।

© एम क्रोजे / आईएलओ

>> या, हाल ही की घटनाओं को देखते हुए, उनके अंधकारमय भविष्य पर। जैसा कि सभी को मालूम है, आर्थिक संकट के बाद से ऑटोमोबाइल्स की मांग में जबरदस्त गिरावट आई है। हाल की एक रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2007 में सात करोड़ के मुकाबले यह मांग वर्ष 2009 में पांच करोड़ 60 लाख रह गई है। आईएलओ के एक अध्ययन में बताया गया है कि दिसंबर 2008 के आंकड़ों की तुलना अगर दिसंबर 2007 के आंकड़ों से की जाए तो स्पेन में बिक्री में 50 प्रतिशत, अमेरिका में 35 प्रतिशत और जापान में 22 प्रतिशत गिरावट आई है। जनवरी 2008 के मुकाबले 2009 के प्रारंभ में उत्पादन में भी 25 प्रतिशत की कमी आई है। आईएलओ की एक क्षेत्रीय रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि इसका अर्थ है, नौकरियों में जबरदस्त कटौती। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है, 'अगर कंपनियां उत्पादन के अनुपात में नौकरियों में कटौती करने लगें, तो आने वाले सालों में नौकरियों में 10 लाख तक की कटौती हो सकती है।'

ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौजूदा श्रमिकों की नौकरियां प्रभावित हो रही हैं। यूएडब्ल्यू यूनियन उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरफ ध्यान आकर्षित करती है, जो अपनी पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल लाभ के लिए अपने पूर्व नियोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं।

संभव है कि बदतर स्थिति गुजर चुकी हो। विभिन्न देशों की सरकारों ने उद्योगों की मदद की तरफ हाथ बढ़ाए हैं। फिर भी विश्व स्तर पर ऑटो उद्योग कमजोर हो गया है और इस विश्व मंदी के बाद जो भी स्थिति उभरकर आएगी, वह 2008 के प्रारंभिक दौर से काफी कुछ अलग होगी। जीएम और क्रिसलर के संदर्भ में तो यह बात सोलह आने सच है। चौप्टर 11 लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए अपने ऋणदाताओं से संरक्षण की मांग करते हुए दोनों कंपनियां इस वर्ष स्वयं को दिवालिया घोषित करने के लिए बाध्य हुई हैं। ऑटो उद्योग की इन दो बड़ी कंपनियों की पुनर्संरचना हो रही है जिससे ये दोनों दिवालिया होने की स्थिति से उबर सकें। इसके लिए यह जरूरी है कि सरकार उच्च स्तर पर हस्तक्षेप करे और श्रमिक एवं श्रमिक संघ सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

उदाहरण के लिए, जीएम के मामले को लिया जा सकता है। 'नई' जीएम की स्थापना के लिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका और कनाडा की सरकारें इस नई कंपनी के ज्यादातर शेयर अधिग्रहित कर लें। जीएम के मौजूदा बांड

© टी कर्पलमेन

धारकों को, जैसा कि प्रस्तावित है, 10 प्रतिशत शेयर आवंटित कर दिए जाएं। 17.5 प्रतिशत शेयर श्रमिक संघ के नियंत्रण वाले न्यास को सौंपे जाएंगे जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करेगी। 'नई' जीएम को कई दायित्वों से मुक्त रखा जाएगा जो पुरानी कंपनी की बैलेंसशीट को प्रभावित करती थीं, व्यवसाय के अवांछित हिस्सों को, जो कि प्रशासन का हिस्सा बने हुए थे, उन्हें जहां तक हो सकेगा, हटा दिया जाएगा।

अगर सब कुछ ठीक–ठाक चलता रहा तो जीएम को एक बार फिर व्यावसायिक सफलता मिल जाएगी। कंपनी के पुराने मैन्यूफैक्चरिंग सेंटर्स में ऑटो उत्पादन बरकरार रहेगा और कम से कम कुछ नौकरियां बच जाएंगी, जिन पर अब तक जोखिम मंडरा रहा था। यह समझौता, जो कि अवश्यंभावी था, एक समझौता ही है, और सभी लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। जीएम के पूर्व शेयरधारकों को लग रहा है कि उनका निवेश बेकार रहा और कुछ बांड धारकों का कहना है कि इस समझौते में उन्हें अपने शेयरों की सही कीमत नहीं मिली (हालांकि बांड धारकों को वारंट शेयर जारी करके, कुछ शेयर बाद में दिए जाएंगे)। यूएडब्ल्यू श्रमिकों की कुर्बानी की ओर इशारा करती है जिसमें कंपनी के साथ 2007 में की गई सामूहिक सौदेबाजी में संशोधन और कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ शामिल है। यूएडब्ल्यू के लेजिसलेटिव डायरेक्टर एलेन रॉथर के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष उन्होंने अमेरिकी सीनेटरों और कांग्रेसमैन को बताया था : 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य देखभाल लाभों में भी भारी, तत्काल कटौती की जा रही है।'

कनाडा में भी यही तरीका अपनाया गया है। यहां कनाडा की ऑटो वर्कर्स यूनियन सीएडब्ल्यू ने कंपनी के साथ एक सामूहिक समझौते के तहत अंतरिम व्यवस्था की है। यह प्रयास कंपनी के पुनर्गठन का एक अंग कहा जा सकता है। वेतन, स्वास्थ्य लाभ, कार्य के तरीके और उत्पादकता में सुधार के संबंध में बचत के कुछ उपायों पर भी सहमति बनी है, हालांकि सीएडब्ल्यू अध्यक्ष केन लेवेंजा का कहना है कि इस समझौते के तहत कनाडा में अनेक लाभों को बरकरार रखा जाएगा और पेंशनधारियों के हितों की भी रक्षा की जाएगी।

वैसे यह स्पष्ट है कि 21 वीं शताब्दी में, लोग पिछले दशक के मुकाबले अलग किस्म की कारें सड़कों पर दौड़ाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऑटो उद्योग में सरकारी हस्तक्षेप को ईंधन की खपत कम करने की रणनीति से भी जोड़ा है। इस साल फरवरी में उद्योग के एक संघ परिसंघ, इंटरनेशनल मेटलवर्कर्स फेडरेशन की कार्यकारी समिति ने भी अपने एक बयान में स्वच्छ वाहन और स्वच्छ ईंधन को विकसित करने की जरूरत पर बल दिया था।

संकट को सुनहरे अवसर में बदलना

आईएलओ के बीफ्रिंग पेपर में कहा गया है, 'आर्थिक संकट ने उद्योग को मौका दिया है कि वह निम्न कार्बन की ओर कदम बढ़ाए और हरित रोजगार पैदा करे। सरकारों

© www.morguefile.com

द्वारा स्वीकृत अनेक उपायों में पर्यावरण मित्र वाहनों में निवेश का समर्थन किया गया है। ऐसे वाहनों के उत्पादन के लिए अधिक अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश और उच्च कुशलता प्राप्त कर्मचारियों की अपेक्षा है। इसलिए कुशलता प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।'

यह स्पष्ट है कि बदलाव आना शुरू हो गया है : निम्न कार्बन उत्सर्जन करने वाली 'हरित' कारों की ओर विश्व ने कदम बढ़ाए हैं। इस वर्ष अप्रैल में होंडा की नई हाइब्रिड इनसाइट कार (जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक पावर, दोनों पर चलती है) जापानी घरेलू बाजार में अपने अन्य परंपरागत प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले सबसे ज्यादा बिकी।

दूसरे शब्दों में, ऑटो उद्योग एक सफर पर है। अतीत के उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले वाहनों को वह पीछे छोड़ चुका है। लेकिन हाल के महीनों को देखते हुए और विशेष रूप से पुनर्गठन प्रक्रिया में जिस प्रकार श्रमिक संघों ने अपनी भूमिका निभाई है, क्या अन्य प्रकार के परिवर्तन की भी उम्मीद की जाए? 28 मई को फाइनांशियल टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट में जर्मनी में श्रमिक संघों के बीच, कंपनी के स्वामित्व में हिस्से को लेकर हुई बातचीत का जिक्र किया गया। डैमलर द्वारा कर्मचारियों की लाभ बोनस स्कीम को कैपिटल स्टेक में बदलने की पहल को लेकर, रिपोर्ट में कहा गया है, 'कार सेक्टर ही वह रास्ता दिखा रहा है, जिसकी कमजोर स्थिति ने प्रबंधन और श्रमिकों को नए विचारों को अंगीकार करने के लिए बाध्य किया है।'

जैसे कि विश्व आर्थिक प्रणाली की पुनर्संरचना करने पर विचार कर रहा है, जिससे तत्काल लाभ के लिए अल्पावधि के निवेश पर दिए जाने वाले दबाव के घातक प्रभावों को कम किया जा सके। फाइनांशियल टाइम्स के लेख में डैमलर के वर्क्स काउंसिल के प्रमुख इरिक क्लेम की टिप्पणी का हवाला दिया गया है : 'हम वे अकेले शेयर धारक हैं जिसे कंपनी में दीर्घावधि की रुचि है, उन लोगों की अपेक्षा जो तत्काल लाभ हासिल करना चाहते हैं।'

कंस्ट्रक्शन उद्योग में संकट

© एम क्रोजेट / आईएलओ

आर्थिक संकट ने कंस्ट्रक्शन उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया है। आईएलओ का अनुमान है कि वर्ष 2008 के बाद से अब तक इस क्षेत्र के 50 लाख श्रमिकों ने अपना रोजगार खोया है।

वर्ष 2007–08 में अमेरिका के हाउसिंग सेक्टर में उठी समस्याओं ने आर्थिक संकट की शुरुआत की और देश में कंस्ट्रक्शन उद्योग में रोजगार पर बहुत बुरा असर देखने को मिला। सितंबर 2006 से 2008 की आखिरी तिमाही के बीच, 780,000 नौकरियां खत्म हो गईं। आईएलओ द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े भी चिंता का कारण बने। उदाहरण के लिए स्पेन में, प्रॉपर्टी बाजार 2007 के मध्य में धराशायी होना शुरू हो गया और पिछले साल पांच लाख नौकरियां खत्म हो गईं। वर्ष 2008 में ब्रिटेन में एक लाख नौकरियां का नुकसान देखा गया। आयरलैंड में, जहां अब तक लगातार प्रॉपर्टी सेक्टर चरम पर था, पिछले साल उद्योग बुरी तरह धराशायी हुआ और 15 से 20 प्रतिशत नौकरियां समाप्त हो गईं।

विश्व के अनेक देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और कैरेबियाई क्षेत्र के बहुत से देशों से छंटनी की खबरें मिलीं, जहां बड़े पैमाने पर पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुआ। चीन और रूसी संघ में भी छंटनियां हुईं। आईएलओ के आंकड़े कहते हैं कि पिछले साल चीन में इस क्षेत्र में चार करोड़ श्रमिकों में से 10 प्रतिशत के करीब ने अपनी नौकरियां गंवाई।

कंस्ट्रक्शन उद्योग में कम वेतन पर, कम कुशलता वाले बहुत से श्रमिक कार्य करते हैं और इसमें ज्यादातर प्रवासी श्रमिक कार्य करते हैं। ओईसीडी ने पिछले साल सितंबर में प्रकाशित अपनी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि ओईसीडी के अनेक सदस्य देशों जैसे ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में काम करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में आई गिरावट से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी श्रमिक ही हुए। उनमें से बहुतों ने अपना रोजगार तो खोया ही, दूसरे देश में रहने का अधिकार भी गंवाया। अनुमान है कि खाड़ी देशों में, जहां के कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रवासी श्रमिकों का बहुत बड़ा सहारा है, वर्ष 2008 में डेढ़ लाख प्रवासी श्रमिकों ने अपना रोजगार गंवाया। आईएलओ की रिपोर्ट रूस का उदाहरण भी देती है जहां 20 हजार से ज्यादा तुर्की मजदूरों को वापस अपने देश जाने को मजबूर होना पड़ा।

यह और भी दुखद है कि इन प्रवासी श्रमिकों को अपने देश में उसी प्रकार का काम दोबारा मिलने की बहुत कम उम्मीद है। जिन देशों में वे काम करते हैं, उन देशों के बेरोजगारी के आंकड़ों में उनकी यह तकलीफ नजर नहीं आती।

ओईसीडी प्रवासी श्रमिकों के इस्तेमाल पर अल्पावधि का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है : ओईसीडी महासचिव एंजेल गुरिया ने व्यापक, दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में प्रवास को प्रबंधित करने का आह्वान किया है। पिछले साल माइग्रेशन आउटलुक को जारी करते हुए उन्होंने कहा था, 'ओईसीडी देशों में निम्न कुशलता वाले श्रमिकों की जरूरत बनी रहेगी। चूंकि उन्हीं नौकरियों को हासिल करने के लिए प्रवासी श्रमिकों का बार–बार आना–जाना काफी नहीं है।'

हाल की एक आईएलओ रिपोर्ट[1] में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए तमाम तरह के उपायों का जिक्र है। इसमें 'हरित' रोजगार के लिए सहक्रिया की बात भी कही गई है। इसमें श्रम और संकट के सामाजिक पहलुओं को लक्षित करने के लिए क्षेत्रगत सामाजिक संवाद का आह्वान किया गया है, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और छोटे उद्यमों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए। इसमें सुझाव दिया गया है कि 'अब तक प्रभावित क्षेत्रों में नीतिगत कार्रवाई के केंद्र में घरेलू बाजार रहा है और वैश्विक क्षेत्रगत समन्वित प्रतिक्रियाओं पर कम ध्यान दिया गया है। इस अंतराल को कम करने के लिए वैश्विक क्षेत्रगत नीति संवाद एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है।'

© पी डेलोच / आईएलओ

[1] *''द करेंट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस : सेक्टोरल एस्पेक्ट्स,'' भाग 2 : द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री (पृष्ठ 6–13), जीबी 304/एसटीएम/2/2, 304 वां सत्र, संचालन निकाय, अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, मार्च 2009*
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocment/wcms_103437.pdf

बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस 2009

बालिकाओं को एक मौका दीजिए

© आईएलओ फोटो

वैश्विक वित्तीय संकट बड़ी संख्या में बच्चों को, विशेष रूप से बालिकाओं को, बाल श्रम में धकेल सकता है। ऐसा कहना है आईएलओ की उस नई रिपोर्ट का, जिसे बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस पर यानी 12 जून को जारी किया गया।

आईएलओ की इस रिपोर्ट जिसका नाम है *गिव गर्ल्स अ चांस : टैकलिंग चाइल्ड लेबर, अ की टू द फ्यूचर* [1] में कहा गया है कि जहां एक ओर वैश्विक अनुमान संकेत देते हैं कि बाल श्रम में लगे बच्चों की संख्या कम हो रही है, वहीं वित्तीय संकट इस तरक्की को संकट में डाल सकता है।

आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया ने इस मौके पर कहा, 'हमने अब तक बाल श्रम में गिरावट देखी है। किंतु वर्तमान संकट के दौरान जिस तरह की नीतियां अपनाई जाएंगी, उसी आधार पर तय होगा कि क्या राष्ट्रीय व वैश्विक प्रतिबद्धता इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगी।'

रिपोर्ट में कहा गया है, बाल श्रम में बालिकाओं को धकेला जाने का संकेत इस बात से मिलता है कि अनेक देशों में परिवारों में बच्चों की शिक्षा पर निर्णय लेते समय बालकों को प्राथमिकता दी जाती है। वित्तीय संकट गहराने के चलते गरीबी में बढ़ोतरी होगी और गरीब परिवारों को यह चुनना होगा कि किन बच्चे को स्कूल में रखा जाए और किसे स्कूल से हटाया जाए। जिन समाजों में बालकों की शिक्षा को ज्यादा जरूरी समझा जाता है, वहां बालिकाओं को स्कूल से हटाए जाने की ज्यादा आशंका है। इसके बाद वे कम उम्र में काम पर लगा दी जाती हैं।

बाल श्रम में बच्चों के अधिक संख्या में दाखिल होने का एक कारण राष्ट्रीय शिक्षा बजट में कटौती और प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी गई रकम में गिरावट भी है, क्योंकि इसी रकम की बदौलत बच्चे कई बार स्कूल में पढ़ पाते हैं।

इसी वर्ष बाल श्रम के निकृष्ट रूपों के उन्मूलन पर आईएलओ के समझौते (संख्या 182) की दसवीं वर्षगांठ भी थी।

श्री सोमाविया ने कहा, 'इस समझौते पर अब तक हमारे 169 सदस्य देश अपनी संपुष्टियां दे चुके हैं और केवल 14

[1] *गिव गर्ल्स अ चांस : टैकलिंग चाइल्ड लेबर, अ की टू द फ्यूचर (आईएलओ– आईपैक 2009). आईएसबीएन : 987–92–2–122374–0 (प्रिंट), 978–92–2–122375–7 (वेब पीडीएफ)*

देशों की संपुष्टियां बाकी हैं। यह प्रतिबद्धता की उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है। यह समझौता बालिकाओं की स्थिति पर खास ध्यान देने की बात कहता है और हम इस बात का विशेष उल्लेख करना चाहते हैं कि इस संकट के दौरान बालिकाएं अधिक जोखिम में हैं। बालिकाओं– और सभी बच्चों को बाल श्रम से दूर रखने के लिए एकीकृत प्रयास करने की आवश्यकता है जिसमें माता–पिता के लिए नौकरियां और सामाजिक संरक्षण उपाय शामिल हैं। इन्हीं की मदद से बालकों और बालिकाओं को स्कूल में रोक कर रखा जा सकता है। बालकों और बालिकाओं की मूलभूत शिक्षा तक पहुंच और उनके लिए प्रशिक्षण को भविष्य के समाधान के तौर पर भी देखा जा सकता है।'

आईएलओ रिपोर्ट कहती है कि 10 करोड़ से अधिक बालिकाएं बाल श्रम में संलग्न हैं और इनमें से अधिकतर बाल श्रम के निकृष्ट रूपों में लगी हुई हैं। बालिकाएं अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करती हैं। यही वजह है कि उन पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये समस्याएं इस प्रकार हैं :

- बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला अधिकतर कार्य लोगों की निगाह में नहीं आता। यह कार्य उन्हें जोखिम में डालता है। वे ज्यादातर घरेलू नौकरानियों के रूप में काम करती हैं, और बाल घरेलू मजदूरों के उत्पीड़न की खबरें लगातार आती रहती हैं,
- बालकों से भले काम न करवाया जाए पर बालिकाएं अपने घरों में भी काम करती हैं। घर के बाहर काम करने के अतिरिक्त घर पर काम करने से उन पर 'दोहरा दबाव' पड़ता है और इससे उनके समय से पहले स्कूल छोड़ देने की आशंका बनती है, और
- अनेक समाजों में, बालिकाएं कमतर और संवेदनशील स्थिति में होती हैं और उन्हें मूलभूत शिक्षा भी नहीं दिलाई जाती। इससे उन्हें आगे अच्छे मौके नहीं मिल पाते।

© आईएलओ फोटो

अमेरिकी सीनेटर टॉम हारकिन ने बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस और बाल श्रम के निकृष्ट रूपों के उन्मूलन पर आईएलओ के समझौते (संख्या 182) की दसवीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीनेटर हारकिन ने चेतावनी दी कि आर्थिक मंदी बाल श्रम के उन्मूलन में मिली सफलता को उलट सकते हैं। उन्होंने आईएलओ का आह्वान किया कि वह बाल श्रम उन्मूलन की अपनी प्रतिबद्धता को और गति दे। इस अवसर पर आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया ने भी अपने विचार प्रकट किए। 1999 में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बाल श्रम समिति में नियोक्ताओं के समूह के प्रवक्ता श्री जे. डब्ल्यू. बोथा और श्रमिकों के समूह के प्रवक्ता सर लेरॉय ट्रॉटमैन ने भी अपने–अपने अभिभाषण दिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च करना आवश्यक है क्योंकि यह गरीबी से निपटने का भी कारगर तरीका है। शिक्षित बालिका वयस्क होने पर अधिक आय अर्जित करेगी, सही समय पर शादी करेगी, कम और स्वस्थ बच्चों को जन्म देगी और परिवार में उसके पास निर्णय लेने का अधिकार होगा। शिक्षित मां ही यह सुनिश्चित करती है कि उसके बच्चे शिक्षित हों और उनके बचपन में मजदूरी करने की आशंका भी कम होती है।

http://www.ilo.org/public/english/wdacl/flash09/index.html

बाल श्रम पर बच्चों का दृष्टिकोण
बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस, 12 जून, 2009, को जेनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय में आयोजित प्रदर्शनी

© ए. दुबोइस / आईएलओ

आईएलओ बैठक में तेल एवं गैस उद्

© एम क्रोजेट/आईएलओ

तेल एवं गैस उद्योग में रोजगारों में आई वैश्विक मंदी के बीच सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने जेनेवा स्थित आईएलओ मुख्यालय में 11–14 मई तक चली एक बैठक में पेट्रोलियम उद्योग में औद्योगिक संबंधों के हालात पर विचार–विमर्श किया।

बैठक के लिए तैयार की गई एक नई आईएलओ रिपोर्ट[1] कहती है कि वर्ष 2004 में रोजगार के क्षेत्र में, तेल एवं गैस उत्खनन उपक्षेत्र शीर्ष पर था। यहां 40 लाख नौकरियां थीं। फिर क्रमिक रूप से इसमें कमी आई और वर्ष 2006 में यहां रोजगार 30 लाख के स्तर पर ही रह गया। अन्य 15 लाख कर्मचारी अनुमानित रूप से तेल शोधन उद्योग में काम कर रहे थे।

रिपोर्ट यह भविष्यवाणी करती है कि वर्ष 2010 तक तेल उद्योग में 6000 से अधिक कुशल कर्मचारियों की कमी हो जाएगी। 'यह एक पारंपरिक अनुमान है। वास्तविकता इससे भी बदतर हो सकती है। कुशल श्रमिकों की कमी की जड़ें 1990 के दशक के दौरान की गई रोजगार की कटौती और भर्ती के अभाव में छिपी हैं जो बदतर और खतरनाक कार्यगत परिस्थितियों के कारण मानी गई है और अब इसे वर्तमान आर्थिक संकट ने और बढ़ा दिया है।' यह कहना है, सुश्री एलिजाबेथ टिनोको का जो आईएलओ के क्षेत्रीय गतिविधि विभाग (सेक्टर) की निदेशक हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में रोजगार में अस्थिरता ने ठेके पर श्रम की तदनंतर वृद्धि को आगे बढ़ाया है जो अब तेल उद्योग की अनिवार्यता और औद्योगिक संबंधों में समस्याओं का कारण बन गई है। रिपोर्ट श्रम शक्ति के केंद्रीय

[1] *सोशल डायलॉग एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इश्यूज इन द ऑयल इंडस्ट्री*, तेल एवं गैस उत्खनन और उत्पादन से लेकर तेल एवं गैस वितरण में सामाजिक संवाद और उत्तम औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हुई त्रिपक्षीय बैठक में चर्चा के लिए तैयार रिपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, जेनेवा 2009
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/tmoge09/tmoge-r.pdf

द्योग में संकट के प्रभाव पर हुई चर्चा

और बाहरी श्रमिकों में हुए 'दोहरीकरण' की ओर इशारा करती है और कहती है कि जटिल रोजगार प्रक्रियाओं का परिणाम प्रायः नियोक्ता की पहचान का निर्धारण करने में कठिनाई के रूप में होता है, कभी–कभी इसका असर सामूहिक सौदेबाजी के परिणामों पर भी पड़ता है।

रिपोर्ट महत्वपूर्ण वेतन अंतरालों का भी उल्लेख करती है जोकि व्यवसाय, कौशल और लैंगिकता पर निर्भर करते हैं और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मुद्दों को रेखांकित करती है। यह अनुमान लगाती है कि घातक दुर्घटनाओं में शामिल होने की आशंका वाले ठेके के श्रमिकों की संख्या कंपनी के नियमित कर्मचारियों के मुकाबले दोगुनी होती है और कि 21 से 35 वर्ष के बीच की उम्र वाले श्रमिक किसी भी अन्य आयु समूह के मुकाबले दुर्घटनाओं के प्रति अधिक संभावित शिकार होते हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस घटना के बावजूद कि अपतटीय कार्य तटवर्ती कार्य के मुकाबले अधिक खतरनाक होता है, घातक दुर्घटनाओं की दर तटवर्ती कार्य में अपतटीय कार्य के मुकाबले लगभग दोगुने से भी ऊंची होती है।

औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में, आईएलओ रिपोर्ट पाती है कि पूरे तेल उद्योग में श्रमिकों के संगठनीकरण के स्तर बेहद निम्न हैं और गिरते ही जा रहे हैं, यद्यपि श्रमिक संघ सदस्यता उत्खनन और उत्पादन क्षेत्र के मुकाबले तेल शोधन क्षेत्र में अधिक व्यापक है। अपतटीय कार्यस्थलों और महिला श्रमिकों के बीच यह बेहद निम्न स्तर पर है। बैठक में इस पर विचार किया गया कि श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान किया जा रहा है, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए।

सुश्री टिनोको कहती हैं, 'कुशल श्रमिकों की कमी एक वैश्विक प्रक्रिया है जिसने खास तौर से तेल उद्योग पर असर डाला है क्योंकि यह क्षेत्र संचालन के लिए उच्च कौशल की मांग करता है। तेल कंपनियां वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में विविधता लाई हैं। उनके प्रयासों में शिक्षा और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण निवेश शामिल हैं। लेकिन तेल उद्योग अकेले ही कुशल श्रमिकों के समुच्चय में पर्याप्त वृद्धि करने में असमर्थ हैं। सरकारों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। रिपोर्ट सुझाव देती है कि सरकारों और तेल उद्योग के बीच संवाद किया जाना चाहिए जिसमें श्रमिकों के संगठनों को भी शामिल किया जाए ताकि श्रमशक्ति के विशाल समुच्चय में नए शामिल होने वाले कुशल श्रमिक तेल उद्योग के कार्य के लिए भली प्रकार से लैस हों।'

© एम क्रोपेट / आईएलओ

संकट के समय सामाजिक संवाद: अतीत से सबक

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 30 'गौरवशाली वर्ष' जिन्हें कि तदनंतर आर्थिक वृद्धि, प्रायः पूर्ण रोजगार और अधिकांश औद्योगिक देशों में रहन–सहन के मानकों में हुई तीव्र वृद्धि से जाना जाता है, के बाद आया है आर्थिक मंदी, उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ते बजट घाटों और बेरोजगारी में बढ़ोतरी का दौर। आईएलओ के सामाजिक संवाद विशेषज्ञ ल्यूडेक राइचली एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच सामाजिक संवाद की समीक्षा कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में तेज वृद्धि और ऊर्जा लागतों में आई तीखी तेजी, खास तौर से वर्ष 1973 के पहले तेल झटके के बाद की मूल्य वृद्धि का परिणाम पारंपरिक निर्माण क्षेत्र में लगभग वैश्विक गिरावट के रूप में सामने आया, उच्च श्रमिक संघीकरण वाला यह क्षेत्र दशकों तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ बना रहा था। राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध तंत्रों को एक पूरी तरह से भिन्न वातावरण के अनुकूल बनना था और नई चुनौतियों का सामना करना था।

बेल्जियम में इस संकट का सामूहिक सौदेबाजी और सामाजिक संवाद के अन्य रूपों पर एक बेहद नाटकीय असर पड़ा, खास तौर से वर्ष 1975 के बाद। सामाजिक सहभागियों के बीच ऐसे मुद्दों पर जैसे कि श्रमिक लागत में कटौती और तालाबंदी पर आम राय के अभाव ने कुछ समय के लिए पारंपरिक अंतर औद्योगिक संवाद के जारी रहने को रोक दिया। सरकार ने 'व्यापक कदम उठाते हुए दूरगामी प्रभाव वाली नीति को लागू कर दिया, वेतन स्थिर कर दिए और रहन–सहन की लागत के संवाद से हासिल प्रावधानों के प्रभावों को सीमित कर दिया।'

लेकिन अंततः कानूनी और संवाद से हासिल उपायों के गठजोड़ के माध्यम से वेतन संतुलन हासिल कर लिया गया। फरवरी 1981 में नया कानून लागू किया गया जिसने उस स्थिति में आवश्यक वेतन नियंत्रण उपाय प्रदान किए जबकि नियोक्ता और श्रमिक संघ एक राष्ट्रीय सहमति पर पहुंच सकते हों, यह सहमति हालांकि हासिल की गई और शाही आदेश से बाध्यकारी बनाई गई।

आयरलैंड का बहु प्रचारित मामला दिखाता है कि सामाजिक संवाद, विशेष तौर से तब जबकि उसे सरकार का भी समर्थन हासिल हो, गंभीर आर्थिक कठिनाइयों में भी प्रतिक्रिया प्रदान कर सकता है। उच्च बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की गंभीर संरचनात्मक समस्याओं का सामना होने पर सामाजिक सहभागी और सरकार वर्ष 1987 में राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति कार्यक्रम तक पहुंचने में सफल हो गए जो त्रिपक्षीय अनुबंधों की श्रृंखला में पहला था।

चूंकि यह अनुबंध खास तौर से वेतन से ही संबंधित था इससे श्रमिक संघ कर राहतों के बदले मध्यम वेतन वृद्धियों पर सहमत हो गए। इसके बाद हुए सहभागिता अनुबंध अपनी संदर्भ सामग्री में दूरगामी थे और उन्होंने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की एक व्यापक श्रृंखला को संबोधित किया।

इटली में मंदी 'सामूहिक सौदेबाजी की संरचना और संदर्भ सामग्री में तथा साथ ही साथ, उसे संचालित करने वाले पक्षों में व्यापक बदलावों की गवाह बनी।' सरकार ने कई प्रकार से हस्तक्षेप किया: राष्ट्रीय श्रम विवादों के निपटारे में सक्रिय भूमिका निभाकर, 'संवाद से तैयार कानूनों' को स्वीकार करके, और 1980 के दशक की शुरुआत से ही बड़े त्रिपक्षीय अनुबंधों में भाग लेकर।

वर्ष 1983 और वर्ष 1984 के त्रिपक्षीय अनुबंधों ने न केवल स्वतः वेतन सूचीकरण का मामला निपटाया, अपितु रोजगार को बढ़ावा देने, कार्य के समय को घटाने और श्रम बाजार के नियमन के व्यापक मुद्दों का भी निपटारा किया। इटली ने 1990 के दशक में भी त्रिपक्षीय अनुबंधों (संधियों) का उपयोग करना जारी रखा।

1970 के दशक में और 1980 के दशक के पूर्वार्द्ध में नीदरलैंड्स ने बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि, संरचनात्मक

कठिनाइयों, उच्च ब्याज दरों और बढ़ते बजट घाटों के पीड़ादायक अनुभवों का सामना किया। इन कठिनाइयों ने न केवल डच कल्याणकारी राज्य, अपितु पारंपरिक 'पोल्डर तंत्र' के लिए भी चुनौती पेश की जो सामाजिक संवाद प्रतिमान में समझौते और नीतिगत उपायों के लिए जन समर्थन जुटाने पर आधारित था। हितग्राही समूहों के बीच संबंध प्रतिकूल हो गए और श्रमिकों तथा नियोक्ताओं के बीच किसी सहमति पर पहुंचना असंभव सा लगने लगा।

सामाजिक सहभागियों के बीच हुए प्रसिद्ध वेसेनार अनुबंध पर वर्षों तक असहमति के बाद वर्ष 1982 में पूरी तरह आश्चर्यजनक ढंग से पहुंचा गया जिसने 1970 के दशक और 1980 के दशक के पूर्वार्द्ध में आर्थिक कष्टों और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई में एक वास्तविक परिवर्तन बिंदु का प्रतिनिधित्व किया। यह 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध और 1990 के दशक की शुरुआत में श्रम बाजार और रोजगार प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति का भी आरंभिक बिंदु बना। अनुबंध ने इस बात पर जोर दिया कि 'रोजगारों में संरचनात्मक सुधारों के लिए आर्थिक वृद्धि की पुनः प्राप्ति, कीमतों में स्थायित्व, बेहतर पुरस्कारों के साथ कंपनियों की प्रतियोगितात्मकता में सुधार जरूरी है।' विरोधाभासी रूप से, यह सरकार थी जिसने इस अनुबंध को परिणाम तक पहुंचाने में सर्वाधिक योगदान दिया, 'जैसे ही सरकारी हस्तक्षेप की आशंकाएं गहराईं, बाध्य होकर सामाजिक सहभागी एक हो गए और उन्होंने एक दूसरे को सौदेबाजी के सहभागी के तौर पर स्वीकार कर लिया।'

1970 के दशक के मध्य में **जापान** ने एक लंबी मंदी के दौर में प्रवेश किया। संकट ने संरचनात्मक परिवर्तनों की जरूरत महसूस कराई और अनेक उद्योगों में अत्यधिकता की कड़ी समस्याएं पैदा हो गईं जैसे कि इस्पात, पोत निर्माण और अभियांत्रिकी। यद्यपि अन्य अधिकांश औद्योगीकृत देशों से भिन्न जापान इस अवधि से, बिना अवश्यंभावी मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी और अनेक हड़तालों से बचकर निकलने में सफल रहा। कुछ पर्यवेक्षक सोचते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी का जापानी तंत्र जो एक व्यापक संयुक्त सलाहकारी तंत्र से अनुपूरित है, इस अवधि के दौरान जापानी अर्थव्यवस्था के रूपांतरण और आधुनिकीकरण में सहायक रहा जिससे बड़े सामाजिक संघर्ष को टालने मे मदद मिली।

1980 के दशक में **अमेरिका** निम्न आर्थिक प्रदर्शन से बुरी तरह प्रभावित हुआ जिसके बाद बेहद कमजोर प्रतिपूर्ति आई। ठीक इसी समय बेहद कड़ी विदेशी प्रतिस्पर्धा की प्रतिक्रिया में नवोन्मेषों और लागत कटौती ने सरकारी अविनियमनों के साथ मिलकर औद्योगिक संबंधों के तंत्र पर व्यापक दबाव बना दिया। छूट वाली सौदेबाजी को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया : प्रभावी प्रश्न यह था कि रोजगार और आय सुरक्षा प्रदान करना कितने उत्तम प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। 1980 के दशक की छूट

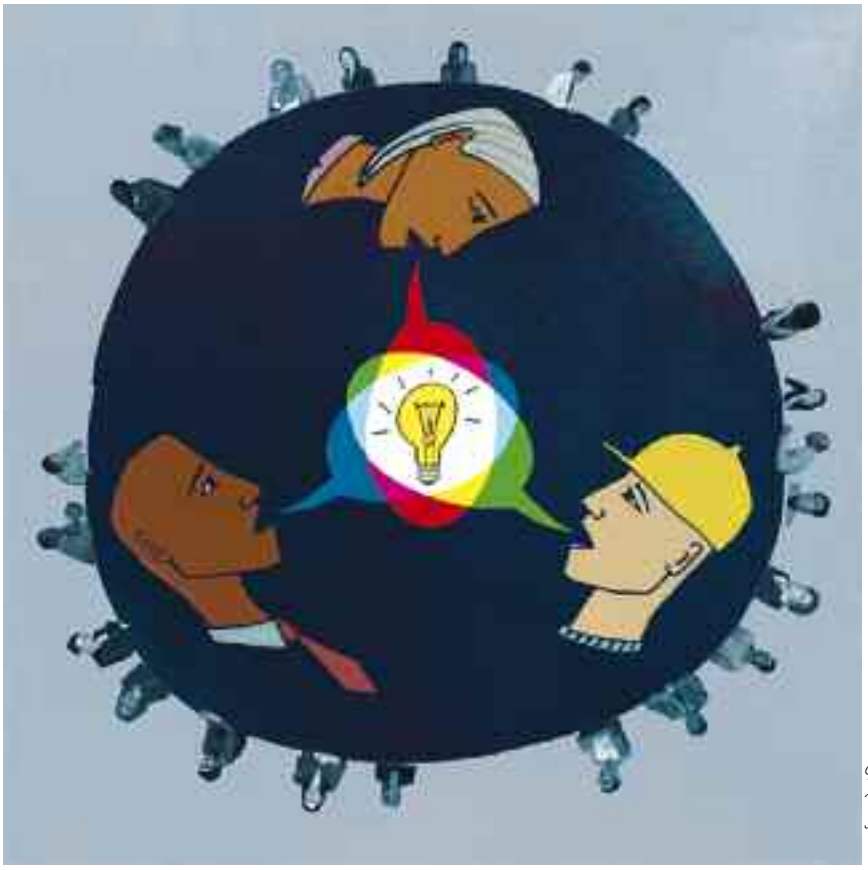

© आईएलओ / गिल बटन

वाली सौदेबाजी में से अनेक आर्थिक विपत्ति का सामना करने वाली सुप्रसिद्ध तकनीकों पर आधारित थीं जैसे कि परिवर्तन की अग्रिम सूचना, पुनः प्रशिक्षण, पृथक्करण वेतन, पूर्व सेवानिवृत्ति लाभ, कार्य में हिस्सेदारी, कारखानों के बीच तबादले, सचल भत्ते, अनुपूरक बेरोजगारी लाभ, अधिक कार्य के प्रावधान और सुनिश्चित वार्षिक भुगतान।

औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में, 1970 और 1980 के दशकों से मिला प्रमुख सबक यह है कि संकट के बाधक प्रभाव हो सकते हैं, यहां तक कि सुस्थापित औद्योगिक संबंध तंत्रों पर भी। हालांकि यह बाधाएं अस्थायी होती हैं। यदि तंत्रों में अनुकूलन की क्षमता हो, यदि वे उपयुक्त सार्वजनिक नीतियों और समर्थ संस्थानों से समर्थित हों और यदि समझौते तक पहुंचने की एक आम इच्छा हो। जैसा कि आयरलैंड के मामले में प्रदर्शित हुआ है, संकट को संबोधित करने के उपाय के रूप में सामाजिक संवाद के उपयोग का सकारात्मक अनुभव एक नए और टिकाऊ युग की शुरुआत का अग्रदूत हो सकता है जहां औद्योगिक संबंध समृद्धि लाने में मददगार हो सकते हैं।

अंततः 'छूट वाली' सौदेबाजी का अनुभव उपक्रम स्तर की सौदेबाजी में आशावाद को दिखाता है। तो भी, वर्तमान संकट के संदर्भ में, जिस पर उच्च वेतन का प्रभाव नहीं पड़ा है, सामान्य प्रतिमान के रूप में वेतन नियंत्रण का उपयोग जटिल से भी अधिक जान पड़ता है।

उत्कृष्ट समाज का निर्माण:

विकास में सामाजिक संरक्षण की भूमिका पर पुनर्विचार

जैसे लोग संकट के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सामाजिक संरक्षण प्रणालियों की निरंतर आवश्यकता बढ़ रही है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यापक योजना बनाने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद, दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को सामाजिक सुरक्षा के अधिकार से निरंतर वंचित रखा गया है। आईएलओ के नए प्रकाशन बिल्डिंग डीसेंट सोसायटीज : रीथिंकिंग द रोल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन डेवलपमेंट[1] में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या और किस प्रकार सामाजिक संरक्षण प्रणालियां, सामान्य तौर पर, और विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा विश्व कार्यसूची में उच्च प्राथमिकता प्राप्त कर सकती है।

ओईसीडी और विकासशील देशों में सामाजिक सुरक्षा में ऐतिहासिक और समसामयिक विकास को साथ लाते हुए और मौजूदा वित्तीय और आर्थिक संकट पर विशेष रूप से विचार करते हुए यह पुस्तक उन नई अंतरराष्ट्रीय रणनीतियों पर नजर डालती है जो सामाजिक सुरक्षा को स्थापित कर सकती हैं, गरीबी कम कर सकती हैं और आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान दे सकती हैं। इसमें यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्न और मध्यम आय वाले देशों को चाहिए कि वे उच्च आय वाले देशों में लागू सामाजिक संरक्षण प्रणालियों के समकक्ष अपने यहां भी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां लागू करें।

[1] *पीटर टाउनसेंड, बिल्डिंग डीसेंट सोसायटीज : रीथिंकिंग द रोल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन डेवलपमेंट, आईएसबीएन 978–92–2–121995–8. आईएलओ, 2009 (पैलग्रेव मैकमिलन पब्लिशर्स के साथ सह प्रकाशित). पेज 36 भी देखें।*

वर्तमान समय में, 30 ओईसीडी देशों में औसतन, सकल घरेलू उत्पाद का 13 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सामाजिक सुरक्षा को समर्पित है, जो कि निम्न आय वाले देशों से एकदम उलट है जहां औसतन दो प्रतिशत से भी कम हिस्सा इस क्षेत्र को दिया जाता है। इस असंगति को दूर करने के लिए इन दोनों प्रकार के देशों की आर्थिक और सामाजिक नीतियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

यूरोप और ओईसीडी में सामाजिक संरक्षण

यूरोप और ओईसीडी देशों में सामाजिक संरक्षण प्रणालियों की शुरुआत एक शताब्दी पहले ही हो गई थी। आज, सामाजिक परिव्यय का उच्च स्तर, कम गरीबी से जोड़कर देखा जाता है लेकिन इस संबंध में कुछ अपवाद भी हैं। जैसे इस्टोनिया, पोलैंड और स्लोवाकिया में, जहां परिव्यय का उच्च स्तर है, गरीबी भी उच्च स्तर पर कायम है। घरेलू बाजार के एकीकरण और विकास के साथ, यूरोपीय संघ (ईयू) पर यह दबाव निरंतर बढ़ रहा है कि ऐसे नए सामाजिक संरक्षण विकास मॉडल को मंजूर किया जाए जो सामाजिक सुरक्षा और भाईचारे पर आधारित हो –यूरोपीय संघ के स्तर पर वित्त पोषित यूरोपीय संघ की एक सामाजिक नीति।

ओईसीडी की सामाजिक संरक्षण प्रणाली में सार्वभौमिक और चुनींदा उपायों का समावेश है, फिर भी ओईसीडी के सभी देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि सामाजिक सुरक्षा आधुनिकीकरण और दीर्घकालीन वृद्धि का साधन है, और देश की गरीबी दूर करने का भी। अगर निम्न आय वाले देशों को सामाजिक सुरक्षा की ओईसीडी प्रणालियों को अपनाना है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विचार करने के पश्चात उनमें परिवर्तन किए जाने चाहिए।

ऐसे मॉडलों को विकासशील देशों में लागू किया जा सकता है, यह प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि देश का राजनैति स्वर कितना विविधतापूर्ण है। अमीर लोकतंत्रों में अपेक्षाकृत समतावादी कार्यक्रम होते हैं, जिनमें से कुछ तो सभी पर लागू होते हैं, और कुछ गरीब और कम आय वाले परिवारों को लक्षित होते हैं। दूसरी तरफ, विकासशील देशों में प्रतिगामी या कई बार विशिष्ट वर्ग को केंद्रित कार्यक्रम कायम हैं। कल्याण के यूरोपीय मॉडल, हालांकि यह कभी पूरी तरह से अनुकरणीय नहीं हो सकता, अब भी विकासशील देशों में सरकारी कल्याण सुधारों का उपयोगी संदर्भ प्रदान करते हैं।

निम्न आय वाले देशों के अनुभव

विकासशील देशों में सामाजिक संरक्षण प्रणालियों के पास संसाधनों का अभाव है और ये बहुत असमान हैं। एक शताब्दी पूर्व, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई देशों में औपनिवेशिक सत्ता ने निम्न व्यापकता वाली योजनाओं को प्रस्तावित किया जो सरकारी कर्मचारियों और बड़े उद्यमों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य देखभाल, मातृत्व अवकाश, विकलांगता भत्ता और पेंशन आदि देती थीं। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को कोई नकद लाभ नहीं मिलता था। आज भी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सामाजिक संरक्षण के दायरे को एक बड़ी आबादी तक पहुंचाना है।

सरकारों और दाताओं के इरादों पर संशय किए जाने के बावजूद, तमाम अध्ययन यह दिखाते हैं कि सामाजिक संरक्षण और कृषि विकास नीतियों के बीच सहक्रिया कायम हो सकती है– उदाहरण के लिए इथियोपिया की सरकार फूड फर्स्ट से पहले कैश फर्स्ट प्रस्ताव की ओर बढ़ रही है। बांग्लादेश, इथियोपिया और मालावी में किए गए अध्ययन बताते हैं कि दीर्घकालीन सामाजिक संरक्षण पर व्यय किया जा रहा है और तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से मृदा और जल संरक्षण, सड़कें, पशुधन सहित कृषि परिसंपत्तियां जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियां विकसित की जा रही हैं।

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका ने सामाजिक सहयोग की प्रणाली विरासत में पाई है जिसे जातिगत आधार पर समतामूलक बनाया गया, उसका विस्तार किया गया और 1998 में नन्हे बच्चों को नकद लाभ जैसी योजना भी शुरू की गई। वर्ष 2010 तक एक नया अनिवार्य, अंशदायी आय संबंधी कोष स्थापित कर दिया जाएगा जो सेवानिवृत्ति के लिए बचत, बेरोजगारी बीमा, विकलांगता एवं मृत्यु पर लाभ जैसी सुविधाएं मुहैय्या कराएगा– एक व्यापक प्रणाली की तरफ यह एक मुख्य कदम है।

दक्षिण अफ्रीका और दूसरी जगहों के कल्याण विकास की सबसे बड़ी चुनौती है, एचआईवी/एड्स महामारी के मद्देनजर सुसंगत या व्यापक सामाजिक सहायता नीति का अभाव। इससे जुड़ी हुई, समान स्वास्थ्य देखभाल की एक प्रणाली सुनिश्चित करने की समस्या भी है। विश्व स्तर पर

© आईएलओ / गिल बदन

आज मुख्य चुनौती है, समस्त आबादी तक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना... और सभी देशों में मूलभूत सामाजिक संरक्षण को प्रस्तावित करना...

10 करोड़ लोग चिकित्सा पर खर्च करते–करते गरीबी में जीने को विवश हो रहे हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों में। थाईलैंड इसमें एक सुखद अपवाद है जहां सिर्फ 27 सालों में समान दायरे की उपलब्धि हासिल कर ली गई है (विकसित देशों की तुलना में जहां यह 70 वर्षों में हासिल किया गया), वह भी निर्धनों और ग्रामीणों को सहयोग देने वाली व्यापक नीतियों के चलते।

सामाजिक सुरक्षा को वैश्विक प्रोत्साहन

संयुक्त राष्ट्र और सभी अंतरराष्ट्रीय निकायों की मुख्य रणनीतियों को विश्व स्तर पर गरीबी कम करने की नीतियों और व्यापक विकास के मुख्य तत्व के रूप एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए जो सभी देशों को समान रूप से प्रगति करने लायक सक्षम बनाए। यह एक संदेश भी है कि जो वर्ष 2008–09 के वित्तीय और आर्थिक संकट के मद्देनजर प्रासंगिक है। विकासगत नीति पर होने वाली चर्चाओं में इसे स्थान दिया जा रहा है। सभी देशों में मूलभूत सामाजिक संरक्षण को प्रस्तावित करने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का ही सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं द्वारा, जून 2009 की आईएलओ वैश्विक रोजगार संधि में आह्वान किया गया है जो इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जून 2009 के सत्र में न केवल ऐतिहासिक वैश्विक रोजगार संधि को स्वीकृत किया गया बल्कि अनेक अन्य मुद्दों पर भी विचार किया गया, जैसे एचआईवी/एड्स और श्रम की दुनिया पर आईएलओ का नया उपाय, विश्व स्तर पर बलात श्रम की आर्थिक और सामाजिक लागत, आईएलओ समझौतों और सिफारिशों को क्रियान्वित करना और लैंगिक समानता को आईएलओ की उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची का मुख्य मुद्दा बनाना।

© आईएलओ फोटो

सम्मेलन ने सबसे पहले एचआईवी/एड्स और श्रम की दुनिया पर नए अंतराष्ट्रीय श्रम मानक पर चर्चा की। यह महामारी बढ़ रही है, तिस पर वित्तीय संकट ने स्वास्थ्य बजट, विकास सहायता और उपचार कार्यक्रमों पर किया जाने वाला खर्च घटाया है। इसलिए समिति ने व्यावहारिक कार्रवाई, सहमति और सहयोग की तत्काल आवश्यकता और प्रतिबद्धता को दोहराया।

यह उम्मीद की जा रही है कि एचआईवी और श्रम की दुनिया पर केंद्रित उपाय, रोकथाम कार्यक्रमों और राष्ट्रीय एवं कार्यस्थलीय स्तरों पर भेदभावरहित उपायों को आगे बढ़ाएगा और इससे स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं में भी कमी आएगी। इससे एचआईवी की रोकथाम, उपचार, देखभाल और सहयोग तक पहुंच बनाने में श्रम की दुनिया के योगदान को मजबूती मिलेगी और सूचना ग्रहण करने और उनके निरीक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रस्तावित सिफारिश पर जून 2010 में दोबारा चर्चा होगी।

सम्मेलन ने श्रम की दुनिया में लैंगिक समानता पर भी चर्चा की। यह मुद्दा आईएलओ के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है और उसकी उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची का अनिवार्य घटक है। लैंगिक समानता पर संगठन की समिति ने कहा कि वर्ष 1985 से ही महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता की दिशा में बढ़त हासिल हुई, जब सम्मेलन में इस मुद्दे पर सामान्य चर्चा की गई। फिर भी मुख्य चुनौती यथावत है: महिलाओं को पारिवारिक उत्तरदायित्व का एक बड़ा हिस्सा वहन करना पड़ता है, जिससे श्रम बाजार में उनकी पूर्ण भागीदारी और आर्थिक सशक्तीकरण प्रभावित होता है, समान मूल्य वाले श्रम के लिए भी पुरुषों की तुलना में वे कम कमाती हैं, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और कम आय वाली अकुशल नौकरियों में बड़ी संख्या में लगी होती हैं, और नेतृत्व संभालने वाले पदों पर उनकी संख्या सामान्य तौर पर कम होती है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनः एक विहंगम दृष्टि

98 वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने वर्ष 2010–11 के लिए 7267 लाख अमेरिकी डॉलर का कार्यक्रम और बजट स्वीकृत किया जो कि वर्ष 2008–09 के संसाधनों के स्तर को बरकरार रखे हुए है। इस सम्मेलन में संगठन के 183 सदस्य देशों के चार हजार से भी अधिक सरकारी, श्रमिक और नियोक्ता प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रतिनिधियों ने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी से महिलाओं को सशक्त करने के प्रयासों को धक्का जरूर लगा है लेकिन इससे ऐसी समतामूलक नीति प्रतिक्रियाओं को विकसित करने के अवसर भी मिल रहे हैं जो काम और परिवार की जिम्मेदारियों में संगति बैठाने में महिलाओं और पुरुषों को बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। भविष्य में आईएलओ का दायित्व– जो कि रोजगार संकट पर उसकी प्रतिक्रिया भी है– यह है कि वह अपने संघटकों को सहयोग प्रदान करेगा कि वे शिक्षा, कुशलता प्रशिक्षण, पारिवारिक जिम्मेदारियों को बांटने, औपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रम, नौकरियों का मुआवजा और उद्यमिता विकास हासिल करने के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर दें। सम्मेलन के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में ऐसी नीतियों का उल्लेख था जिनकी मदद से रोजगार अवसरों, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक संवाद और कार्यस्थल पर अधिकारों तक पहुंच बनाकर लैंगिक असमानता को कम किया जा सके।

सम्मेलन के समापन पर प्रतिनिधियों ने अधिकृत अरब क्षेत्रों में श्रमिकों की स्थिति पर आईएलओ की हालिया रिपोर्ट पर चर्चा की। यह रिपोर्ट 'अधिकृत अरब क्षेत्रों में एक निराशाजनक मानवीय, आर्थिक व सामाजिक स्थिति, जिस पर ठप पड़ी शांति वार्ता की काली छाया है', को चित्रित करती है।'

समापन बैठक में 9 जून को बलात श्रम पर आईएलओ की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा भी की गई। द कॉस्ट ऑफ कोअशन नाम की इस रिपोर्ट में आकलन किया गया है कि बलात श्रम से प्रभावित श्रमिकों से बल प्रयोग से कार्य करवाने की लागत 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है (देखें अगला लेख)।

अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक

समझौतों और सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सम्मेलन समिति ने करीब 25 मामलों की जांच की। समझौतों और सिफारिशों के कार्यान्वयन पर आईएलओ की विशेषज्ञ समिति ने इन मामलों को अपनी एक रिपोर्ट में उल्लिखित किया था और उसे सम्मेलन में प्रस्तुत किया था।

समिति ने बलात श्रम समझौता, 1930 (संख्या 29) के संदर्भ में म्यांमार के आवेदन पर विशेष बैठक की और आईएलओ के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में इस आवेदन पर अनुवर्तन के प्रावधान किए।

म्यांमार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को मान्यता देते हुए, जिनमें बलात श्रम पर शिकायत प्रणाली का विस्तार शामिल है, समिति ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि ये कदम अपर्याप्त हैं। समिति ने सरकार से आग्रह किया कि वह कमीशन ऑफ इन्क्वायरी की सिफारिशों और विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों और प्रेक्षणों को अविलंब लागू करे। विशेष रूप से, समिति ने सरकार से कहा कि उसे आईएलओ के समझौता संख्या 29 के अनुकूल प्रासंगिक विधायी विषयों और नए संविधान को बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, स्थायी एवं व्यापक स्तर पर फैले बलात श्रम के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करना चाहिए, और बलात श्रम करवाने वाले लोगों, चाहे वे नागरिक हों या सेना अधिकारी, पर दंड संहिता के तहत मुकदमा चलाना चाहिए और उन्हें सजा देनी चाहिए, सरकार की बलात श्रम उन्मूलन की नीति और दोषियों को दंडित करने के इरादे के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए आधिकारिक वक्तव्य जारी करना चाहिए, बलात श्रम पर शिकायत प्रणाली के कामकाज के बारे में सरल भाषा में जानकारी देने वाला ब्रोशर बनाना चाहिए और बलात श्रम के पीड़ितों एवं उनके परिवारों को शिकायत दर्ज कराने में आने वाली दिक्कतों को दूर करना चाहिए।

समिति ने म्यांमार में निरंतर मानवाधिकारों के उल्लंघन, जिसमें आंग सान सू की की नजरबंदी शामिल है, पर गंभीर चिंता जाहिर की। समिति ने सू की और दूसरे राजनीतिक बंदियों, साथ ही श्रम कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त उन लोगों की तत्काल रिहाई की भी मांग की गई जो शिकायत प्रणाली से जुड़े हैं और इस समय बंदी बनाए गए हैं।

म्यांमार को संगठन की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित समझौते, 1948 (संख्या 87) के कियान्वयन में निरंतर विफलता के मामले में भी सूचीबद्ध किया गया है। समिति ने याद दिलाया कि बलात श्रम के स्थायित्व को, संगठन की स्वतंत्रता की पूरी तरह से गैरमौजूदगी और जो संगठित होने का प्रयास करते हैं, उन पर मुकदमा चलाने से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

समिति ने दो अन्य विशेष मामलों पर भी सम्मेलन का ध्यान आकर्षित किया। ईरान के मामले में, भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) समझौते, 1958 (संख्या 111) के कियान्वयन पर चर्चा की गई। समिति ने चिंता जाहिर की कि वहां के श्रम बाजार में महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया। रोजगार और व्यवसाय तक धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की समान पहुंच न हो पाने पर भी समिति ने चिंता प्रकट की।

स्वाजीलैंड के मामले में, समिति ने सरकार का आह्वान किया कि उसे अपने नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों, जिन्हें नजरबंद किया गया है, की रिहाई को सुनिश्चित करना चाहिए। समिति ने दुख जाहिर किया कि हालांकि आईएलओ ने कुछ समय पूर्व वहां की सरकार को तकनीकी सहयोग प्रदान किया था, सरकार ने संगठन की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित समझौते, 1948 (संख्या 87) के अनुरूप किसी राष्ट्रीय कानून को स्वीकृत करने का कार्य नहीं किया।

सम्मेलन समिति द्वारा इस वर्ष व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य समझौता, 1981 (संख्या 155), व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य सिफारिश, 1981 (संख्या 164) और व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य समझौते, 1981 पर 2002 के प्रोटोकॉल पर सामान्य सर्वेक्षण चर्चा की गई। समिति ने चर्चा के बाद जो निष्कर्ष दिया, उसमें उसने इससे संबंधित उपाय को प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई योजना तय की।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के प्रमुख कार्य हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को स्वीकृत करना और उनके

* अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देखें:
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ILCSessions/98thSession/comm_reports/lang--en/index.htm

अनुपालन पर नजर रखना, संगठन का बजट बनाना और संचालन निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना। वर्ष 1919 से, सम्मेलन ने विश्व व्यापी महत्व वाले सामाजिक और श्रम संबंधी मुद्दों पर विमर्श का अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। आईएलओ के 183 सदस्य देशों में से प्रत्येक को सम्मेलन में चार प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है: सरकार की ओर से दो प्रतिनिधि, और एक श्रमिक व एक नियोक्ता प्रतिनिधि, इनमें से प्रत्येक को बोलने और स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार है।

आईएलओ संचालन निकाय ने नए अध्यक्ष को चुना
संगठन की स्वतंत्रता पर गठित समिति ने म्यांमार, कंबोडिया और ईरान का हवाला दिया

© आईएलओ फोटो

सर लेरॉय ट्रॉटमैन

श्री डैनियल फ्यून्स द रोजिआ

अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय के संचालन निकाय ने ब्राजील की राजनयिक और जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में ब्राजील की स्थायी प्रतिनिधि सुश्री मारिया नजरेथ फरानी अजेवेडो को वर्ष 2009–10 के सत्र के लिए अध्यक्ष चुना।

संचालन निकाय के 305 वें सत्र में अनेक प्रकार के दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की गई जिसमें संगठन की स्वतंत्रता पर आईएलओ समिति की एक रिपोर्ट शामिल है।

सुश्री अजेवेडो से पहले इस पद पर श्री जेडजिस्लाव रापास्की थे, जो निशस्त्रीकरण सम्मेलन में पोलैंड के राजनयिक और जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में पोलैंड के स्थायी प्रतिनिधि थे। उन्होंने 2008–09 के लिए संचालन निकाय के अध्यक्ष का पद संभाला था। वर्ष 2003 से 2007 के दौरान सुश्री अजेवेडो ने विदेशी मामलों के मंत्री के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया था, शुरुआत में राजनैतिक मुद्दों पर उनके सलाहकार के रूप में और फिर वर्ष 2005 में उनके स्टाफ प्रमुख के रूप में। वर्ष 2004–05 में, राजनयिक अजेवेडो राष्ट्रपति लुला की उनकी पहल, 'ऐक्शन अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी' में प्रमुख वार्ताकार थीं। सितंबर 2008 से, वह जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्यालयों में ब्राजील की स्थायी प्रतिनिधि बनीं।

बारबाडोस की वर्कर्स यूनियन के महासचिव और संचालन निकाय में श्रमिक समूह के प्रवक्ता सर लेरॉय ट्रॉटमैन को श्रमिकों का उप सभापति पुनर्निर्वाचित किया गया और अर्जेंटीना की इंडस्ट्रियल यूनियन के सामाजिक नीति विभाग के अध्यक्ष और 1995 से 1998 तक अमेरिकी राज्यों के संगठन के नियोक्ता समूह के सभापति श्री डैनियल फ्यून्स द रोजिआ को नियोक्ताओं का उप सभापति पुनर्निर्वाचित किया गया।

ये तीनों 2009–10 के सत्र के लिए संचालन निकाय के अधिकारियों के तौर पर कार्य करेंगे। संचालन निकाय, आईएलओ की कार्यकारी परिषद है और जेनेवा में साल में तीन बार इसकी बैठक होती है। यह नीतिगत निर्णय लेती और संगठन के 183 सदस्य देशों के लिए कार्यक्रम और बजट तय करती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में हुई चर्चा के बाद सरकार, नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधियों ने वैश्विक रोजगार संधि को स्वीकृत किया और इसे क्रियान्वित करने के लिए तत्काल व्यावहारिक उपाय करने का आह्वान किया। इस संधि के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नीतियों का मार्गदर्शन किया जाता है जिससे आर्थिक बहाली, रोजगार उत्सर्जन और श्रमशील लोगों व उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

संचालन निकाय ने संगठन की स्वतंत्रता पर आईएलओ समिति की 354 वीं रिपोर्ट को स्वीकृत किया। अपनी बैठक में समिति ने 26 मामलों की जांच की। कुल मिलाकर, समिति के पास अभी 134 मामले हैं। समिति म्यांमार, कंबोडिया और ईरान के मामलों पर विशेष ध्यान दे रही है (अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देखें: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_108519/index.htm.

90 पर आईएलओ : पांच महाद्वीपों में

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जून सत्र ने सटीक अवसर प्रस्तुत किया जिसमे क्षेत्रों से सीधे यह सुना जा सकता था कि उन्होंने आईएलओ की 90 वीं वर्षगांठ कैसे मनाई और भविष्य में वे आईएलओ से क्या अपेक्षा रखते हैं। समारोहों का उद्देश्य था स्थानीय स्तर पर एक वैश्विक सम्मेलन मनाना। इस दौरान 120 देशों में 200 कार्यक्रम हुए जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इनमें राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों से लेकर आम लोगों तक ने हिस्सेदारी की।

अफ्रीका के, 49 देशों में भिन्न–भिन्न कार्यक्रम किए गए थे। इथियोपिया में फोटो प्रदर्शनी, मिस्र में सिक्कों और डाक टिकटों का वितरण, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और घाना में लोकप्रिय प्रदर्शन, मेडागास्कर और सेशेल्स में उत्कृष्ट कार्य संबंधी गीतों का गायन, मोरक्को और नाइजर में विचार वार्ताएं और बच्चों के जुलूस। कैमरून, नामीबिया और स्वाजीलैंड में कविता और निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। साथ ही साथ गिनी में त्रिपक्षीय बास्केटबॉल और सूडान में फुटबाल मैच आयोजित किए गए। अल्जीरिया में आईएलओ के नए कार्यक्रम का शुभारंभ बेहद भावपूर्ण क्षण था।

जैसा कि अफ्रीका के लिए आईएलओ के क्षेत्रीय निदेशक चार्ल्स डैव ने इंगित किया कि कार्यक्रमों की विभिन्नता ने तीन बड़ी खूबियों को रेखांकित किया। सबसे पहले ध्यान केंद्रित था कि आज की अत्यावश्यक प्राथमिकताएं क्या हैं, मुख्यतः अफ्रीका के लोगों पर वैश्विक संकट के दुष्परिणाम क्या होंगे। ठोस संदेश था एक सम्मिलित प्रतिक्रिया का महत्व है जोकि स्थानीय विकास और एक सामाजिक अर्थव्यवस्था पर आधारित हो। दूसरे, संकट से उबरने वाले देशों में उत्कृष्ट श्रम कार्यक्रमों को लागू करने की उभरती अत्यावश्यकता और तीसरे, त्रिपक्षीयता को विकास के एक शक्तिशाली उपाय के रूप में व्यापक प्रोत्साहन देना।

एशिया और प्रशांत में, क्षेत्रीय निदेशक सैचिको यामामोतो ने कहा, उद्देश्य था श्रम की दुनिया का, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करना। एशिया में भी वर्तमान आर्थिक और सामाजिक संकट अंतर्निहित विषयवस्तु के रूप में सभी 22 देशों में समारोहों पर छाया रहा। आईएलओ 90 के आयोजकों ने इस मौके का उपयोग आईएलओ की निरंतर प्रासंगिकता के संदेश का प्रसार करने में किया। इसके लिए अन्य सहभागियों जैसे कि वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग और महिला मामलों के मंत्रालय, समाचार माध्यम और अंत में जनता जिनमें कि बच्चे शामिल हैं, तक पहुंच बनाई गई। इसी तरह लेबनान में, एक उच्च स्तरीय त्रिपक्षीय कार्यक्रम संसद में आयोजित किया गया, और जोर्डन में कार्यक्रमों का सह प्रायोजन आईएलओ और अन्य संस्था सहभागियों ने किया। बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों ने भी भाग लिया। इनमें फिलीपींस के राष्ट्रपति द्वारा की गई यह नवोन्मेषी घोषणा भी शामिल है कि 21 अप्रैल से एक मई तक आईएलओ सप्ताह मनाया जाएगा।

लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में 22 देशों ने त्रिपक्षीय कार्यक्रमों के साथ आईएलओ 90 में भाग लिया। यहां भी इस अवसर का नई सहभागिताएं बनाने के तौर पर उपयोग किया गया जिनमें उदाहरण के लिए सांसद और युवा शामिल थे। बड़ी संख्या में नए प्रकाशन और उपयोगी पाठ्य सामग्री जारी की गई जिनमें सामाजिक संरक्षण और श्रम कौशल के राष्ट्रीय त्रिपक्षीय प्रमाणन की प्रक्रियाओं से लेकर एक क्षेत्रीय श्रम सांख्यिकीय डेटाबेस तक शामिल थे। इस अवसर के लिए एक ब्लॉग की भी रचना की गई जिसमें अद्यतन पारस्परिक ज्ञान का आदान–प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय निदेशक जीन मैनिनेट ने भी संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया और एक बेहद ठोस प्रतिक्रिया की शुरुआत अर्जेंटीना की राष्ट्रपति किश्चनर ने की जब उन्होंने आईएलओ को जी –20 के विचार विमर्श का हिस्सा बनाने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्हें तुरंत ब्राजीलियाई राष्ट्रपति लूला का समर्थन मिला कि इस संबंध में एक संयुक्त पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गोर्डन ब्राउन को भेजा जाए।

यूरोप और मध्य एशिया में, क्षेत्रीय निदेशक पेत्रा उल्शोयफर ने त्रिपक्षीय घटकों के उत्साह और इनमें शामिल 20 देशों की उच्च स्तरीय भागीदारी पर जोर देते हुए कार्यक्रमों की शुरुआत की। कार्यक्रमों की विभिन्नता ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित किया लेकिन अन्य क्षेत्रों की तरफ यहां भी वैश्विक संकट का संदर्भ दिया गया और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर टिके रहने के महत्व पर जोर दिया गया।

इसी प्रकार लैटिन अमेरिका में आईएलओ कार्यसूची को क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं से ओत–प्रोत कर देने की योजनाओं को उदघाटित किया गया। उदाहरण के लिए बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि यूरोपीय संघ की आगामी अध्यक्षता के दौरान उत्कृष्ट कार्य एक सबसे महत्वपूर्ण विषयवस्तु रहेगा। सभी देशों में हुए आयोजनों का केन्द्र वे उपलब्धियां थीं, जो पिछले कई सालों से आईएलओ के सहयोग के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई है, विशेष रूप से आईएलओ के मूल्यों और सभी देशों में उनकी प्रासंगिकता के संदर्भ में। संकट के प्रति आईएलओ की अतीत और वर्तमान की प्रतिक्रिया और अनुकूलन एवं आधुनिकीकरण की उसकी क्षमता को रेखांकित करने के लिए यह नारा '90 वर्ष से सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष,' बार–बार दोहराया गया।

सामाजिक न्याय के लिए कार्यरत

स्थानीय संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य का वैश्विक महत्व और प्रभाव है, महानिदेशक का कथन जो कि इस प्राथमिक अवलोकन में भली प्रकार लिखा गया था, क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा प्रदान किया गया। बड़ी संख्या में गतिविधियां वर्ष के अंत तक चलाए जाने की योजना है। ये भी विश्व भर में फैली हुई होंगी जो आईएलओ के संदेश, मूल्यों और समाधानों को स्थानीय और टिकाऊ बनाने में मददगार होंगी।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडेज द किश्चनर जी –20 में आईएलओ को संलग्न करने की मांग करते हैं, वह उत्कृष्ट श्रम पर त्रिपक्षीय सेमिनार का संबोधित कर रहे थे।

© आईएलओ / जेनेवा

मिस्र की टकसाल ने नक्काशी किए हुए चांदी के स्मारक सिक्के जारी किए : 'सामाजिक न्याय के लिए कार्य वर्षगांठ की विषयवस्तु से भी अधिक बन चुका था। यह अतीत और भविष्य के लिए हमारे अधिदेश के बारे में हमारा मूल्यांकन है।'

© महम्मद अल हद्दाद

पहली पैन अफ्रीकी फोटो प्रदर्शनी में दैनिक जीवन और श्रम के सामाजिक आयामों को दिखाया गया है। तस्वीरें आठ प्रमुख अफ्रीकी फोटोग्राफर्स ने ली हैं।

© आईएलओ / इथियोपिया

ब्राजील ने आईएलओ की 90 वीं सालगिरह के लिए स्मारक मूर्तिशिल्प भेंट किया जोकि दुनिया भर में त्रिपक्षीयता का प्रतिनिधित्व करेगा।

© अलेसांद्रा डायस

समोआ में हुए एक संयुक्त समारोह में जिसमें सरकारों और श्रमिकों तथा नियोक्ताओं के संगठनों ने भाग लिया, आईएलओ की 90 वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाकटिकट जारी किया गया।

© कीन मीडिया, बैंकाक

आईएलओ के सामाजिक न्याय घोषणापत्र को बढ़ावा देने के अभियान की शुरुआत के मौके पर उत्कृष्ट श्रम के लिए अभियान चलाते हिस्सेदार।

© कय्यूम रजा मीर, फोटोफैशन

कंबोडिया में आईएलओ की 90 वीं वर्षगांठ के समारोहों ने स्थानीय उद्यमिता और हस्तशिल्प योजनाएं प्रदर्शित कीं जिन्हें आईएलओ का समर्थन मिला।

© आईएलओ / कंबोडिया

लाखों लोगों ने प्रति दिन मास्को के मेट्रो स्टेशनों पर लगे आईएलओ 90 बिलबोर्डों का अवलोकन किया। इनका संदेश यात्रियों को आईएलओ की 90वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता था।

© आईएलओ / मास्को

जोर्डन में आईएलओ के त्रिपक्षीय घटकों ने 90 वीं वर्षगांठ को बेहतर श्रम कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया।

© आईएलओ / जोर्डन

सामाजिक सहभागियों ने दक्षिण मध्य सोमालिया के लिए अंतरिम उत्कृष्ट श्रम देशीय कार्यक्रम का विकास किया जो कि सशक्त सुरक्षा, शांति और प्रशासन से संबंधित था ताकि रोजगार के बेहतर अवसर पैदा हो सकें।

© मोहम्मद रोबल हुसैन, सोमालिया

बलात श्रम का सामाजिक और आर्थिक मूल्य

© जे.डबल्यू. डेलानो एट व्हाट कॉस्ट/आईएलओ

विश्व में बलात श्रम के पैटर्न्स पर किए गए एक अध्ययन में आईएलओ ने कहा है कि लोगों से बलपूर्वक श्रम करने की 'अवसरवादी लागत' प्रति वर्ष 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

द कॉस्ट ऑफ कोअशन नामक इस रिपोर्ट [1] में उन अनैतिक, धोखे और आपराधिक तरीकों का जिक्र किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति बलात श्रम को बाध्य होता है। इस रिपोर्ट में इन तरीकों को समाप्त करने का आह्वान किया गया है। साथ ही, इस रिपोर्ट में बलात श्रम (जिसे बेगार भी कहा जा सकता है) को रोकने में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों में उल्लेखनीय बढ़त का ब्यौरा भी है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक आर्थिक व रोजगार संकट का इस प्रकार के श्रम पर बुरा असर पड़ेगा।

रिपोर्ट का अनुमान है कि विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का प्रयोग करके लोगों से श्रम करवाने की 'अवसरवादी लागत' प्रति वर्ष 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। रिपोर्ट में इसे नष्ट होने वाली आय कहा गया है। इसके साथ एक आर्थिक बहस भी शुरू होती है, साथ ही नैतिक प्रश्न भी कि सरकारें इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता क्यों नहीं देतीं।

यह बताते हुए कि अनेक दशकों से आर्थिक व वित्तीय संकट के बीच इसे जारी किया गया है, आईएलओ का कहना है कि 'संकट की स्थितियों में, सबसे संवेदनशील समूह ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। ऐसे समय में यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है कि सुरक्षा उपायों की कीमत पर समझौते नहीं किए जाने चाहिए – वह भी ऐसे सुरक्षा उपाय, जिन्हें आपूर्ति श्रृंखला में बलात श्रम और तस्करी को रोकने के लिए बहुत मेहनत से लागू किया गया हो।'

अध्ययन में बलात श्रम को रोकने की दिशा में किए जाने वाले वैश्विक प्रयासों का विवरण है। जबकि बहुत से देशों ने कानून लागू करके, बलात श्रम को आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया है और उन देशों में इस प्रकार का श्रम छुपाकर नहीं किया जाता, कई देशों में इस प्रकार के उत्पीड़न की पहचान करना मुश्किल है।

रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि बलात श्रम को कम करने और रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के गहन प्रयासों में नए कानूनों और नीतियों को शामिल किया जाना चाहिए और जिन लोगों के बलात श्रम और तस्करी का शिकार होने की आशंका है, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।

'ज्यादातर बलात श्रम विकासशील देशों में कराया जाता है, अक्सर अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में और कमजोर संरचना, श्रम निरीक्षण और कानूनी प्रवर्तन वाले, अलग–थलग पड़े क्षेत्रों में', रिपोर्ट में कहा गया है, 'एकीकृत नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से ही ऐसी स्थिति से निपटा जा सकता है। इसके लिए कानून प्रवर्तन को रोकथाम और सुरक्षा के उपायों के साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए और उन लोगों को सशक्त किया जाना चाहिए जिनके बलात श्रम का शिकार होने की सर्वाधिक आशंका हो, जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।'

'हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बलात श्रम एक गंभीर आपराधिक कृत्य है जिसके लिए दंड दिया जाना चाहिए।' बलात श्रम पर काबू पाने के लिए आईएलओ के विशेष कार्रवाई कार्यक्रम के प्रमुख रॉजर प्लांट कहते हैं, 'हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बलात श्रम पर अधिकतर राष्ट्रीय कानून बहुत विस्तार से कुछ नहीं कहते जिससे बलात श्रम के उन तमाम प्रकारों को लक्षित करना मुश्किल होता है जो लोगों को उत्पीड़ित करते हैं। इन समस्याओं को एकीकृत रूप से लक्षित करना आवश्यक है– श्रम और आपराधिक न्याय का प्रयोग करते हुए– रोकथाम और कानून प्रवर्तन के माध्यम से।'

[1] *द कॉस्ट ऑफ कोअशन,* कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों के आईएलओ घोषणापत्र की अनुवर्ती, वैश्विक रिपोर्ट, 2009, अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, जेनेवा. आईएसबीएन 978–92–2–120628–6

जलवायु परिवर्तन और रोजगार

काम करने वाले हाथों की मदद के बिना भविष्य की इमारत की नींव नहीं रखी जा सकती। आज तमाम विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन की त्रासदी से जूझ रही हैं। अगर भविष्य को इस त्रासदी से असर से मुक्त करना है तो अभी से ठोस पहल की जानी चाहिए। और, इस पहल में श्रम की दुनिया को सबसे पहले भागीदार बनाया जाना चाहिए, बता रही हैं, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आईएलओ के क्षेत्रीय कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक साचिको यामामोटो।

36 वर्षीय मीना ठाकुर अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में रहती है। उसका पति एक किसान है और मौसमी खेती करता है। बाकी समय वह और मीना मिलकर गोबर के उपले बनाते हैं और उन्हें पास के ईंट भट्ठे में बेच आते हैं। स्थानीय दुग्ध उद्योग की गायों के गोबर का निस्तारण करना, आस–पास के समुदायों के लिए चिंता का विषय है। चूंकि यह गोबर इधर–उधर फैलकर न केवल दुर्गन्ध फैलाता है और यहां की नदी को दूषित करता है बल्कि इससे फैलने वाली मीथेन गैस वातावरण को प्रदूषित भी करती है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों और वित्तीय सहयोग– नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूऐबल एनर्जी)और जीविकोपार्जन के व्यापक साधनों तक पहुंच का जबलपुर का किसान समुदाय स्वागत करेगा। लेकिन फिलहाल अगर ऐसी कोई पहल की जाती है तो मीना और उसके परिवार पर कहर टूट जाएगा। मीना ही नहीं, इलाके के दूसरे किसानों का हाल भी बेहाल होगा। अगर मीना और उसके जैसे दूसरे किसानों को उपले बनाने के लिए गोबर न मिले, तो इन किसानों की रोजी–रोटी छिन जाएगी।

मीना के परिवार में पांच लोग हैं। मीना, उसका पति और तीन बच्चे। उपले बेचकर यह परिवार हर महीने तीन हजार रुपए कमाता है और उसी में गुजारा करता है। क्या यह परिवार किसी भी तरह के बदलाव या तरक्की के लिए तैयार है? अगर उसे उपले बनाने के लिए गोबर नहीं मिलता, तो वह दाने–दाने का मोहताज हो जाएगा। यह परिवार जलवायु परिवर्तन को उस तरह नहीं समझ सकता, जैसे हम समझते हैं। लेकिन यह भी सच है कि उसके सहयोग के बिना, जलवायु परिवर्तन की चुनौती को जीविकोपार्जन के बेहतर साधनों में बदलना संभव नहीं। कागजी समझौतों को जमीनी स्तर के ठोस परिवर्तन में बदलने के लिए यह जरूरी है कि आम आदमी इस बदलाव के लिए तैयार हो।

हालांकि आर्थिक मंदी छंट रही है, यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अनेक विकासशील देशों में सामाजिक संकट अभी कायम है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनवरी से सितंबर तक आंकड़े बताते हैं कि यहां बेरोजगारी 10 प्रतिशत तक बढ़ गई है और श्रम उत्पादकता में 2.5 प्रतिशत की कमी आई है। अगर बेरोजगारी का यह आलम है तो जलवायु परिवर्तन पर कौन बात करना चाहेगा?

ऐसी चिंता जायज है लेकिन इसी के साथ, कुछ भ्रांतियों को तोड़ा जाना भी जरूरी है।

पहली भ्रांति तो यह है कि अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे, तो सबसे पहले रोजगार पर असर पड़ेगा। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन तमाम अनुभवों से यह साबित हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए निवेश से रोजगार को बढ़ावा मिलता है। हो सकता है कि इससे श्रम बाजार की संरचना में थोड़े बहुत बदलाव आ जाएं। लोग जो काम पहले करते थे, उसकी जगह दूसरा काम करने लगें। लेकिन वे रोजगार से वंचित नहीं होंगे। कई जगहों पर तो लोगों को अधिक बेहतर रोजगार करने का मौका मिला है जो उनके लिए अधिक आय का जरिया बना है। यानी अर्थव्यवस्था के हरित क्षेत्र

से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। एचएसबीसी का एक सर्वेक्षण भी यही बताता है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, विश्व स्तर पर निम्न कार्बन उत्पाद और सेवाओं वाले उद्योग, एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों, दोनों के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं।

दूसरी भ्रांति यह है कि पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों पर धन खर्च करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है। ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से संसाधनों का दीर्घकालीन प्रबंधन होता है और घरेलू कार्य के तरीकों में भी सुधार आता है। विकासशील देशों में ऐसे उपायों से वातावरण को प्रदूषित करने वाली गैसों का रिसाव कम हुआ है लेकिन रोजगार को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

इनके अतिरिक्त, एक और बात है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि पर्यावरण और जलवायु जैसे मसलों से आम आदमी का कोई सरोकार नहीं। यह सिर्फ विशेषज्ञों की चिंता का विषय है और इन्हें पर्यावरणविद या समझौताकार ही सुलझा सकते हैं। लेकिन यह सही नहीं है। फिर हम चाहें या न चाहें, जलवायु में बदलाव होगा और वह भी, इस आधार पर कि हम कैसे उत्पाद बनाते हैं, कैसे उनका उपभोग करते हैं और कैसे अपनी जीविका चलाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र पर असर होगा, सभी देशों में, सभी लोगों पर।

इस दिशा में सरकार प्रतिबद्धता दिखाएगी, लेकिन इसके लिए उसे समाज के सभी तबकों का सहयोग मिलना चाहिए। युवा और वृद्ध, पुरुष और महिला, गरीब और अमीर, शहरी और ग्रामीण, कामगार और नियोक्ता, सभी का। जब इस विषय में बड़े कांफ्रेंस हॉल्स में चर्चा होती है तो मीना जैसे लोगों की आवाज उस विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाती। अगर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कार्य करना है तो उन लोगों को इस कार्य में शामिल किया जाना चाहिए जिनका जीवन सबसे पहले प्रभावित होता है।

हां, एक अच्छी खबर यह है कि श्रम की दुनिया ने यह बात समझ ली है। इस साल जून में आईएलओ ने ग्लोबल जॉब्स पैक्ट नाम की एक संधि की है जिसमें निम्न कार्बन, पर्यावरण मित्र अर्थव्यवस्था की वकालत की गई है और उसे रोजगार बहाली का माध्यम बनाया गया है। ये रोजगार ग्रीन जॉब्स कहलाते हैं जो उत्कृष्ट रोजगार के अलावा हरित अर्थव्यवस्था को बल देते हैं।

मीना और उसके जैसे दूसरे लोगों के लिए इसका अर्थ यह है कि उन्हें अपने मौजूदा रोजगार का एक विकल्प तलाशने में तकनीकी और वित्तीय मदद दी जाए। जैसे उन्हें डेयरी प्रसंस्करण जैसे मूल्य संवर्धित कार्य दिए जाएं। ये उत्कृष्ट रोजगार होगा और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा।

याद रखिए– काम करने वाले हाथों की मदद के बिना भविष्य की इमारत की नींव नहीं रखी जा सकती। इसके लिए यह जरूरी है कि उन्हें समझाया जाए। इसी से आर्थिक बहाली संभव होगी और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। चूंकि रोजगार और हरित रोजगार, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

एचआईवी पॉजिटिव, लाइफ भी पॉजिटिव

शबाना पटेल और आशा रमैय्या। दो अलग–अलग नाम। अलग–अलग धर्म। अलग–अलग पहचान। पर किस्सा एक... दर्द एक और अदम्य जिजीविषा भी एक सी। शबाना और आशा, दोनों एचआईवी पॉजिटिव हैं और दोनों ही एक पॉजिटिव लाइफ जी रही हैं। दूसरों के लिए प्रेरणा हैं, उन लोगों के लिए जो जिंदगी की हर छोटी–बड़ी मुश्किलों में हारकर बैठ जाते हैं।

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दोनों अपने–अपने शहरों से दिल्ली (भारत) पहुंची थीं। दोनों लंबे समय से अपने समुदाय के बीच एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए काम कर रही हैं। लोगों को इस अवस्था, वे इसे अवस्था ही कहती हैं, के बारे में जागरूक करती हैं और एचआईवी से संक्रमित लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एचआईवी/एड्स कायक्रम के तहत इन दोनों ने इससे संबंधित प्रशिक्षण भी हासिल किया है।

'हमारे परंपरागत समाज में एचआईवी पॉजिटिव का मतलब है, उस शख्स का तिरस्कार और चरित्र हनन। इसके बाद उसके साथ छुआछूत और भेदभाव। अक्सर यह भी मान लिया जाता है कि एचआईवी और एड्स दोनों एक सी बीमारियां हैं। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि एचआईवी पॉजिटिव एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति बहुत लंबे समय तक, कई बार 10–15 साल भी, रह सकता है। हर एचआईवी पॉजिटिव को एड्स हो जाए– यह भी जरूरी नहीं।' शबाना कहती हैं।

शबाना पटेल, मुंबई की मुलगी। उम्र 30 साल, हंसकर कहती हैं, '30 साल इसी अक्टूबर में पूरे हुए हैं। जब एचआईवी पॉजिटिव होने के बारे में पता चला था, तब मेरी उम्र 17 साल थी। डॉक्टर ने कहा था, दो महीने से ज्यादा जी नहीं पाओगी।'

शबाना की शादी 1994 में मुंबई के फ्रूट मार्केट में काम करने वाले कैशियर से हुई थी। तीन साल तक सब कुछ ठीक–ठाक रहा। 1998 में पति अचानक बीमार रहने लगे, तो जांच कराई गई। पता चला कि वह एचआईवी पॉजिटिव हैं। ससुरालियों ने शबाना को ताने देने शुरू किए। मुंबई जैसे बड़े शहर की लड़की है, चरित्रहीन होगी। इस लांछन का जवाब शबाना के पिता और उनकी भाभी ने दिया। वे उन्हें घर ले आए। शबाना कहती हैं, 'दो महीने बाद मेरे पति की मौत हो गई। इसके बाद मेरे माता–पिता ने मेरा खास ख्याल रखना शुरू कर दिया।'

शबाना के जीवन में बदलाव तब आया, जब वह एक एचआईवी

आशा

शबाना

पॉजिटिव व्यक्ति से मिलीं। वह स्थानीय स्तर पर ऐसे लोगों के साथ काम करते थे। उन्होंने शबाना की मदद की। वह कहती हैं, 'मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ने तक से डर लगता था मुझे। लेकिन इसके बाद मैंने खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। पिछले साल से मैं मेडिकेशन पर हूं और एकदम स्वस्थ।'

यह विडंबना ही है कि एचआईवी पॉजिटिव ज्यादातर महिलाओं को यह संक्रमण अपने पतियों से मिलता है। लेकिन लांछन की भागी वही होती हैं। शबाना कहती हैं, 'मेरे पति को दो साल पहले ही पता चल चुका था कि वह एचआईवी पॉजिटिव हैं लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में नहीं बताया, न ही सेफ सेक्स की कोशिश की। इतने सालों बाद मैंने उन्हें इस बात के लिए माफ कर दिया लेकिन मेरे ससुराली अब भी मुझे ही दोषी मानते हैं।'

बेंगलूर की आशा रमैया ने तो इस लांछन के चलते शारीरिक उत्पीड़न भी सहा। पांच महीने की शादी के बाद ही उन्हें पता चला कि वह एचआईवी पॉजिटिव हैं। यह 1995 की बात है। पति की कुछ ही महीनों के भीतर मौत हो गई। आशा कहती हैं, 'उनसे तन जरूर जुड़ा था, पर मन नहीं। उनकी मौत पर मेरी आंख से एक आंसू नहीं निकला। इसके बाद मेरे ससुर ने मुझे बहुत पीटा। घर से निकाल दिया। उन्हें लगता था कि उनके हट्टे–कट्टे बेटे को मैंने यह बीमारी दी थी। पर मैं जानती थी कि मैं कैसे संक्रमित हुई थी।'

अपने घर पहुंची तो वहां भी दो छोटी बहने थीं। माता–पिता डरते थे, अब उनकी शादी कैसे होगी? फिर भी उन्होंने आशा को अपनाया। मां ने बहुत हिम्मत दिलाई। इसके बाद आशा ने नौकरी करनी शुरू की। एक एनजीओ 'समरक्षा' की सदस्य बनीं। दस साल पहले इलैंगो नामक एक एचआईवी पॉजिटिव शख्स ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वह राष्ट्रीय स्तर पर एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए आईएनपी प्लस नाम का संगठन चलाते हैं। आशा ने हिचकते हुए इलैंगो का प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वह आठ साल के एक बच्चे की मां हैं और उनका बेटा एचआईवी संक्रमित नहीं है।

एचआईवी पॉजिटिव होने के बावजूद आशा पूरी तरह से स्वस्थ हैं और किसी तरह की दवा वगैरह नहीं लेतीं। वह कहती हैं, 'मैंने अपने पिता से कहा था–'मैं मरने वाली नहीं हूं। मेरे अंदर जीने की हिम्मत है। मैं जानती हूं। संघर्ष करके जीना, ज्यादा हिम्मत का काम है।' और आशा ने यह कर दिखाया।

मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने की वकालत

घरेलू नौकरानियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाए

घरेलू नौकरों की दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार की पहल

घरेलू नौकरानियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाए : शीला दीक्षित

नई दिल्ली (सं) मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने घरेलू सहायकों को 21वीं सदी की देश की जरूरत बताते हुए उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय किए जाने की वकालत की है। घरेलू सहायकों को घर के कामकाज में प्रशिक्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत पर आज आयोजित एक कार्यक्रम में श्रीमती दीक्षित ने कहा कि मौजूदा समय में जब पति-पत्नी दोनों काम पर जाने लगे हैं तो बच्चों, बूढ़ों और घर की देखभाल के लिए घरेलू सहायक आम जरूरत बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू सहायकों को प्रशिक्षित कर ऐसा माहौल तैयार किया जाना चाहिए जहां इन्हें स्थिरता, सुरक्षा, आत्मविश्वास और सुकून मिले, वहीं उनके नियोक्ता भी संतुष्ट और निश्चिंत रहें।

घरों में काम करने वालों के दक्षता विकास की नई पहल की शुरुआत

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने घरों में काम करने वाले नौकर और नौकरानियों की दक्षता विकास के लिए एक नई पहल की है।

केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय, दिल्ली सरकार और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किए गए ऐसे कार्यक्रम को महत्त्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर में घरों में काम करने का एक बड़ा रोजगार है। घरों में डोमेस्टिक हैल्प के रूप में काम करने वाले लोगों में से लगभग 90 प्रतिशत के पास औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं होता है। ऐसे लोग घरों में पूरी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उनकी दक्षता विकसित नहीं हो पाती है।

श्रीमती दीक्षित ने कहा कि दिल्ली में दिल्ली में इस समय एक लाख लोग डोमेस्टिक हैल्प के रूप में काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक ऐसी पहल की शुरुआत की है जिसके तहत काम करने वाले ऐसे लोगों को सिखाया जाएगा कि किस प्रकार साफ-सफाई रखी जा सकती है। किस प्रकार व्यवहार कुशल बना जा सकता है, किस प्रकार सही तरीके से खान-पान बनाया जा सकता है, किस प्रकार घर में बिजली के उपकरणों को चलाया जाता है, किस प्रकार प्राथमिक सहायता में मदद दी जा सकती है और किस प्रकार मेहमानवाजी की जा सकती है। इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें ऐसे लोगों को सिखाया, समझाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस बारे में एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर रही है जिसकी औपचारिक शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम को मॉड्यूलर एम्प्लाइबल स्किल स्कीम के तहत जोड़ा गया है। उन्होंने इससे डोमेस्टिक हैल्प के रूप में काम करने वालों का भविष्य उज्ज्वल होने का विश्वास जताया।

मौजूदा आर्थिक संकट से बढ़ेगी आय में असमानता: आईएलओ का अध्ययन

घरेलू नौकरों को मेहमान नवाजी सिखाएगी सरकार

घरेलू नौकरों को मिलेगी ट्रैनिंग

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, केन्द्र व दिल्ली सरकार का प्रयास से नई पहल
- साफ-सफाई खाना पकाना, मेहमान नवाजी व प्राथमिक उपचार के बारे में दी जाएगी जानकारी

महाद्वीपों के इर्द गिर्द

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और दुनिया में घट रही आईएलओ से संबंधित गतिविधियों और घटनाओं की नियमित समीक्षा

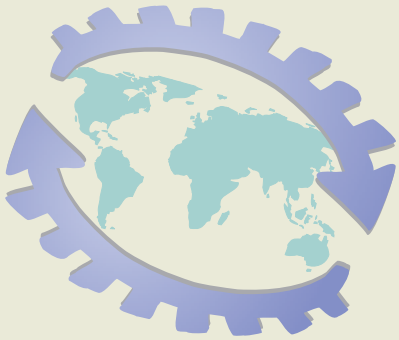

लैटिन अमेरिका में कार्य और परिवार

■ लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में श्रमशक्ति में महिलाएं बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। इसलिए उनके लिए यह मुश्किल हो रहा है कि वे काम और पारिवारिक जिंदगी के बीच कैसे संतुलन बनाएं। वहां भी परंपरागत रूप से महिलाओं के लिए परिवार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं। लैंगिक समानता और अधिक उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इस चुनौती से निपटा जाए। आईएलओ और यूएनडीपी की एक संयुक्त रिपोर्ट में यह कहा गया है। वर्क एंड फैमिली: अ न्यू कॉल फॉर पब्लिक पॉलिसीज ऑफ रीकन्सीलिएशन विथ सोशल कोरिस्पांसिबिलिटी नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों की 53 प्रतिशत महिलाएं श्रमशक्ति का हिस्सा हैं और अगर 20 से 40 वर्ष के बीच की महिलाओं को इस सूची में रखा जाए तो यह प्रतिशत 70 तक पहुंच जाता है। हालांकि यह एक सकारात्मक बात है क्योंकि इस प्रकार इन देशों में समृद्धि आती है, परिवारों का कल्याण होता है और गरीबी कम होती है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय से americas@ilo.org पर संपर्क करें।

© जे.मेलार्ड / आईएलओ

सामाजिक संरक्षण पर दक्षिण–दक्षिण सहयोग

■ अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जून 2009 के सत्र में ब्राजील सरकार और आईएलओ ने सामाजिक संरक्षण पर दक्षिण–दक्षिण समन्वय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता राष्ट्रपति लुइज इनासिओ लुला द सिल्वा की उस प्रतिबद्धता से प्रेरित था, जो उन्होंने लैटिन अमेरिकी, कैरेबियाई, अफ्रीकी और एशियाई देशों के प्रयासों को समर्थन देने के लिए जताई थी। ये देश परस्पर सहयोग और भाईचारे की भावना के माध्यम से उत्कृष्ट श्रम और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दस्तावेज में 22 मार्च 2009 को आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया और ब्राजील के विदेशी मामलों के मंत्री सेलसो अमोरिम द्वारा हस्ताक्षरित अनुपूरक समझौते का अनुलग्नक है। इस अनुलग्नक में उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची के संरचना में आने वाले सामाजिक संरक्षण के दायरे और प्रभाव को बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं। ब्राजील सरकार लैटिन अमेरिका और अफ्रीका एवं एशिया के पुर्तगाली भाषी देशों में सामाजिक संरक्षण योजनाओं से प्राप्त शिक्षा और अच्छी परंपराओं को प्रोत्साहित करना चाहती है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय से americas@ilo.org पर संपर्क करें।

वृद्ध होती श्रमशक्ति पर व्यवसाय जगत की प्रतिक्रिया

■ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के ब्यूरो ऑफ इम्प्लॉयर्ज एक्टिविटीज ने 28–29 अप्रैल को एक सेमिनार का आयोजन किया जिसमें यह चर्चा की गई कि व्यवसाय जगत को किस प्रकार वृद्ध होती श्रमशक्ति के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटना चाहिए और सामाजिक संरक्षण प्रणालियों को दुरुस्त रखने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। भौगोलिक चुनौतियों पर कारोबारी प्रतिक्रिया

आईएलओ–आईएफसी का बेहतर कार्य कार्यक्रम

© पी.डेलांच / आईएलओ

आईएफसी, विश्व बैंक के सदस्य, और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम मानकों के लिए एक सहभागिता कर रहे हैं, जिसे बेहतर कार्य कार्यक्रम कहा गया है। इससे 12 लाख श्रमिकों का जीवन प्रभावित होगा। पिछली मई में, इन दोनों संगठनों ने एक समन्वय समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे श्रम मानकों में सुधार के एकीकृत प्रयास किए जाएंगे और कार्य की बेहतर स्थितियों के लिए कारोबार को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार बेहतर कार्य कार्यक्रम के लिए संकट के दौर में बाजार की स्थितियों में आए बदलावों पर तत्काल प्रतिक्रिया देना आसान होगा। इस पहल के पहले चरण में जोर्डन, वियतनाम और हैती के गारमेंट उद्योगों में बेहतर कार्य के वैश्विक कार्यक्रम और गतिविधियों की स्थापना की गई। दूसरे चरण में 80 प्रतिशत प्रयास एपेरल उद्योग में भागीदारी के लिए किए जाएंगे जबकि 20 प्रतिशत प्रयास नए उद्योगों के वैविध्यीकरण और श्रम मानकों के अनुकूल सुधार लाने के लिए बेहतर कार्य के उपायों तक पहुंच बढ़ाने हेतु किए जाएंगे। यह पहल जुलाई 2009 में की गई और यह तीन वर्ष की अवधि वाली होगी।

बेहतर कार्य के वैश्विक कार्यक्रम को निम्नलिखित देशों का समर्थन हासिल है : नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जापान, नार्वे, लक्समबर्ग, इटली, न्यूजलैंड। देशीय कार्यक्रम को निम्नलिखित देशों का समर्थन प्राप्त है : अमेरिका, जोर्डन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फिनलैंड, आयरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, नार्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। इस कार्यक्रम को लेवाइ स्ट्राउस फाउंडेशन, जॉन्स एपेरेल ग्रुप, सीयर्स होल्डिंग ग्रुप और वॉलमार्ट के अनुदानों के साथ युनाइटेड स्टेट्स काउंसिल फाउंडेशन के निजी–सार्वजनिक योगदान द्वारा भी समर्थन प्राप्त है।

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देखें http://www.betterwork.org.

© जे. मेनार्ड / आईएलओ

जैसे मुद्दे पर केंद्रित इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में 23 देशों के कारोबारी प्रतिनिधियों से हिस्सा लिया। संगोष्ठी में कार्यस्थलीय उपायों पर चर्चा की गई और विचार किया गया कि कौन सी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। जैसे अधिक से अधिक लोग सेवानिवृत्त होते हैं और लंबी जिंदगी जीते हैं, श्रम बाजार में दाखिल होने वाले युवाओं की संख्या कम है और वे बाद की उम्र में श्रमशक्ति का हिस्सा बनते हैं। बढ़ती मांग और अंशदान में कम होते योगदान की इस प्रवृत्ति से सभी जगहों पर सामाजिक संरक्षण की दीर्घकालिकता प्रभावित हो रही है, विशेष रूप से स्वास्थ्य और वृद्धावस्था लाभों के संदर्भ में। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2045 तक, विश्व भर में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या, 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के मुकाबले ज्यादा होगी।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया आईएलओ के ब्यूरो ऑफ इम्प्लॉयर्ज एक्टिविटीज से actemp@ilo.org. पर संपर्क करें।

मालदीव आईएलओ का 183वां सदस्य बना

■ मालदीव के राष्ट्रपति के लिखे पत्र, कि मालदीव सरकार ने आईएलओ संविधान की बाध्यताओं को औपचरिक रूप से स्वीकार कर लिया है, को जेनेवा स्थित आईएलओ कार्यालय द्वारा प्राप्त करने के बाद मालदीव गणराज्य आईएलओ का 183 वां सदस्य बन गया। मालदीव की सदस्यता 15 मई 2009 से प्रभावी हो जाएगी। वैसे मालदीव 21 सितंबर 1965 से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है।

जापान/आईएलओ की सहभागिता

■ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) को जापान सरकार के सहयोग की 35 वीं वर्षगांठ के अवसर पर जेनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित आईएलओ मुख्यालय में 9–30 जून के दौरान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जापान सरकार और आईएलओ के बीच लंबे समय से चले आ रहे समन्वय की अनुशंसा की गई कि किस प्रकार एशिया और प्रशांत में सभी लोगों के लिए उत्कृष्ट श्रम के लक्ष्य को पाने के लिए जापान और आईएलओ कार्य कर रहे हैं। इसमें उन तमाम क्षेत्रों का उल्लेख किया गया जिनमें परस्पर सहयोग किया जा रहा है, जैसे बेरोजगारी और अल्पबेरोजगारी पर काबू पाना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन, कार्यस्थल पर व्यवसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य और सीमा पारीय प्रवास को प्रबंधित करना। जापान सरकार वर्ष 1974 से स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के माध्यम से आईएलओ– जो कि श्रम और कार्यस्थलीय मुद्दों पर कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है– को वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है। दोनों के बीच इस सहयोग की शुरुआत नवंबर 1974 में टोक्यो में आयोजित एशियाई क्षेत्रीय महिला श्रम प्रशासन सम्मेलन से हुई थी और इसके बाद से एशिया और प्रशांत में श्रमिकों की बदलती जरूरतों और क्षेत्र में उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची की जरूरत को महसूस करने के लक्ष्य पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस समन्वय कार्यक्रम को अब आईएलओ/जापान बहुपक्षीय कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है और यह बैंकाक में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आईएलओ कार्यालय में स्थित है।

महाविपदा राहत पर आईएलओ–विश्व बैंक का समन्वय

■ वर्ष 1980 से 2007 के बीच, लगभग 8400 प्राकृतिक आपदाओं के कारण 20 लाख लोगों की जानें गईं और करोड़ों अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों और उसके पश्चात जीविकोपार्जन के साधनों के पुनर्निर्माण के लिए आईएलओ और विश्व बैंक ने परस्पर सहयोग हेतु पिछले जून में संयुक्त बयान जारी किया। ग्लोबल प्लेटफार्म फॉर डिजाजस्टर रिस्क रिडक्शन के दूसरे सत्र के दौरान जेनेवा में इस बयान पर हस्ताक्षर किए गए। जबकि दोनों संगठन आपदा उपरांत राहत व पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में पहले से सहयोग कर रहे हैं, यह संयुक्त बयान आपदा की आशंका वाले देशों में जीविकोपार्जन के साधनों पर आने वाले संकट को जमीनी स्तर पर कम करने के लिए नई पहल को प्रोत्साहित करेगा, आपदा उपरांत बहाली कार्यक्रमों को गति देगा और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनजर जीविकोपार्जन उपायों की तैयारी करेगा।

© टी. फेलिज / आईएलओ

हरित रोजगार पर आईएलओ का नया ब्रोशर

■ हरित रोजगार अधिक दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था और उस समाज का प्रतीक बन गए हैं जो मौजूदा और भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण संरक्षण करना चाहते हैं, समतामूलक हैं और सभी लोगों और सभी देशों को सम्मिलित करना चाहते हैं। आईएलओ का नया ब्रोशर यह बताता है कि हरित रोजगार पर आईएलओ का वैश्विक कार्यक्रम क्या है, इसे क्यों तैयार किया गया है और यह क्या करता है। पर्यावरण और समाज के लिए मौजूदा अर्थव्यवस्था का निम्न कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में रूपांतरण क्यों महत्वपूर्ण है। उद्यमों और श्रम बाजार के लिए इस रूपांतरण के क्या मायने हैं। हरित रोजगार से आईएलओ का क्या तात्पर्य है। किस प्रकार हरित रोजगार और उद्यमों को हरित बनाने से सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और किस प्रकार आईएलओ सहभागिताओं के माध्यम से अपने वैश्विक कार्यक्रम का गठन और उसका कार्यान्वयन कर रहा है। इस ब्रोशर में अधिक सूचना के लिए संसाधनों के संपर्क सूत्र और लिंक दिए गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित वेबसाइट देखें
http://www.ilo.org/integration/resources/pubs/lang--en/docName--WCMS_107815/index.htm

संकट के दौर में व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का विश्वव्यापी कार्यान्वयन

3–6 नवंबर 2009
कांग्रेस सेंट्रल डॉसेलडोफ
जर्मनी

कांग्रेस सेंट्रल डॉसेलडोफ, जर्मनी में **इंप्लिमेंटिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ग्लोबली इन टाइम ऑफ काइसिस** नामक विषय के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय आईएलओ सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें 60 देशों के 300 लोग भाग लेंगे। यह आयोजन ए+ए मेसे डॉसेलडोफ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड कांग्रेस के दौरान किया जाएगा। यहां नीति निर्धारक, सामाजिक भागीदार, बहुराष्ट्रीय उद्यमों के सीईओ, श्रमिक प्रतिनिधि, श्रम निरीक्षक, रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ, प्रैक्टीशनर्स और गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे : **आईएलओ और उसके सहभागी वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान में भी, सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल के अधिकार का दावा करने में कैसे मदद करेंगे?**

नये प्रकाशन

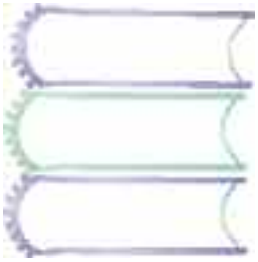

■ **बिल्डिंग डीसेंट सोसायटीज. रीथिंकिंग द रोल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन डेवलपमेंट**

पीटर टाउनसेंड द्वारा संपादित. आईएसबीएन 978–92–2–121995–8, जेनेवा, आईएलओ, 2009. 105 अमेरिकी डॉलर, 75 यूरो, 110 स्विस फ्रैंक्स

वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंदी ने सारी दुनिया में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को बदतर बना दिया है। यह पुस्तक सभी देशों में विकसित किए जाने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाने की वकालत करती है जिसमें सबसे गरीब देश शामिल हों ताकि गरीबी की विकट स्थितियों का उन्मूलन हो, ताकि बढ़ती असमानता को पलटा जा सके और आर्थिक वृद्धि टिकाऊ बने। अब यह अधिकाधिक समझा जाने लगा है कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र में अल्प आय वाले देशों के लिए व्यापक क्षमताएं हैं जिनको कि अभी तक पर्याप्त रूप से खोजा ही नहीं गया है। इस बात की पहचान करते हुए कि आर्थिक और सामाजिक विकास देशों के बीच भली प्रकार से गुंथे हुए हैं, नई अंतरराष्ट्रीय रणनीतियां उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा नीतियों का निर्माण करने की मांग करती हैं जो प्रभावी रूप से गरीबी घटाने में मदद करेंगी और उत्पादकता, आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करेगी।

■ **बिल्डिंग रूलर रोड्स**

ब्योर्न जौहैन्सन, आईएसबीएन 978–92–2–120977–5, बैंकाक, आईएलओ 2008. 40 अमेरिकी डॉलर, 30 यूरो, 45 स्विस फ्रैंक्स

यह पुस्तिका ग्रामीण सड़कों के निर्माण की सर्वोत्तम प्रक्रिया, विधियों और संसाधनों के बारे में जानकारी देती है। ग्रामीण सड़कें आवश्यक सेवाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जलापूर्ति और ग्रामीण आबादी के लिए आर्थिक अवसरों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करती हैं। बेहतर गुणवत्ता वाली ग्रामीण सड़कें बनाना एक खास कौशल का काम है जोकि उचित योजना, अनुभवी निरीक्षण, अच्छे कार्यकर्ता वाली भावना और जहां तक संभव हो सके, स्थानीय संसाधनों के टिकाऊ उपयोग की मांग करता है। इस पुस्तिका का उद्देश्य तकनीकी कर्मचारी प्रदान करना है जिनमें कि कार्यस्थल सुपरवाइजर से लेकर इंजीनियर तक शामिल होते हैं जो कि तकनीकी संदर्भ ब्यौरों से लैस होते हैं और सामान्यतया ग्रामीण सड़कों को बनाने के लिए उपयोग में लाई जा चुकी विधियों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। यह पुस्तिका कार्य प्रबंधन के प्रत्येक चरण का ब्यौरा देती है जिसमें चिन्हांकन और डिजाइन के शुरुआती चरण से लेकर संपूर्ण तकनीकी योजना, कार्य के संगठन, कार्य अनुपालन प्रक्रियाओं और कार्यस्थल प्रशासन तथा रिपोर्ट देना और नियंत्रण शामिल होते हैं।

■ **कंपोडियम ऑफ मेरीटाइम लेबर इंस्ट्रूमेंट्स**

मैरीटाइम लेबर कनवेंशन, 2006, सी फेयरर्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स (रिवाइज्ड) कनवेंशन, 2003, वर्क एट फिशिंग कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन, 2007 आईएसबीएन 978–92–2–120612–5, जेनेवा, आईएलओ 2008. फ्रेंच और स्पैनिश में भी उपलब्ध. 35 अमेरिकी डॉलर, 23 यूरो, 35 स्विस फ्रैंक्स

सामुद्रिक श्रम समझौता, 2006 जोकि एक महत्वपूर्ण नया अंतरराष्ट्रीय श्रम समझौता है, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपने 94 वें (सामुद्रिक) सत्र में स्वीकृत किया गया था। प्राय: नौवहनकर्मियों के अधिकारों का विधेयक कहा जाने वाला समझौता नौवहनकर्मियों की श्रम की उत्कृष्ट परिस्थितियों का निर्धारण करता है और जहाज मालिकों के लिए निष्पक्ष प्रतियोगिता के लिए परिस्थितियां स्थापित करने में मदद करता है। इसकी रूपरेखा एक वैश्विक कानूनी उपाय के रूप में बनाई गई है जो कि गुणवत्ता पूर्ण नौवहन के लिए अंतरराष्ट्रीय विनियामक तंत्र का चौथा स्तंभ बन जाएगा और अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन (आईएमओ) के प्रमुख समझौतों को संपूर्ण बनाएगा। समझौते में वैश्विक मानकों का एक व्यापक समूह है जिसमें लगभग सभी वर्तमान सामुद्रिक श्रम समझौते और सिफारिशें शामिल हैं जिन्हें कि 1920 से आज तक स्वीकृत किया गया है। अब इन्हें एक नए उपाय, नए रूप और जरूरतों के अनुरूप एकत्र किया गया है जो उद्योग में आधुनिक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं।

■ **द कास्ट ऑफ कोअशन**

ग्लोबल रिपोर्ट अंडर द फॉलो अप टु द आईएलओ डिक्लरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क, 2009, इंटरनेशनल लेबर कांफ्रेंस, 98 सेशन 2009, रिपोर्ट 1 (बी). आईएसबीएन 978–92–2–120628–6, जेनेवा, आईएलओ 2009. फ्रेंच, स्पैनिश, अरबी, चीनी, जर्मन और रूसी में भी उपलब्ध. 35 अमेरिकी डॉलर, 23 यूरो, 35 स्विस फ्रैंक्स

यह वैश्विक रिपोर्ट आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बलात श्रम पर नया प्रकाश डालती है। यह बलात श्रम के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में शामिल अनेक कार्यकर्ताओं और संस्थानों के सामने आई भयभीत कर देने वाली चुनौतियों का परीक्षण करती है। इनमें वैचारिक, राजनीतिक से लेकर, कानूनी वैधानिक और सांस्थानिक चुनौतियां शामिल हैं। यह दिखाती है कि कैसे अभी तक चुनौतियों का सामना किया गया है, प्राय: आईएलओ के समर्थन या संलग्नता से, और उत्तम प्रतिक्रियाओं के महत्वपूर्ण उदाहरणों की और इंगित करती है जोकि बलात श्रम के सभी रूपों से निपटने के प्रयासों में भविष्य के मार्गदर्शनों का काम करती हैं। यह श्रम प्रशासन और महानिरीक्षणालय की जरूरत को रेखांकित करती है जो कि बलात श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ अग्रिम मोर्चे का काम करेंगे और अन्य कानून प्रवर्तन और रोकथाम प्रक्रियाओं को संपूर्ण बनाएंगे।

■ **फोर्स्ड लेबर : कोअशन एंड एक्स्पलॉयटेशन इन द प्राइवेट इकोनॉमी**

बीट एंड्रीस और पैट्रिक बेलसर द्वारा संपादित. आईएसबीएन 978–92–2–120164–9, जेनेवा, आईएलओ, 2009. लायन रीनेर पब्लिशर्स के साथ सहप्रकाशित, अमेरिका. 22.50 अमेरिकी डॉलर, 17 यूरो, 25 स्विस फ्रैंक्स

अटलांटिक पारीय गुलामों के व्यापार के उन्मूलन के दो दशक के बाद, लगभग 123 लाख लोग अब भी उत्पीड़न और शोषण के विभिन्न रूपों के कारण बलात श्रम करने को बाध्य हैं। इस अंक में दिए गए शोधों के पता चलता है कि बलात श्रम के पीड़ित केवल एंडियन देशों के देसी लोग या नाइजर के दास लोग ही नहीं, वे लोग भी हैं जो यूरोप और अमेरिका से तस्करी करके लाए जाते हैं और वे लोग भी जो ब्राजील या पाकिस्तान की श्रमशक्ति के संवेदनशील समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुस्तक में उन उपायों का जिक्र भी है जिनके माध्यम से इन प्रथाओं पर काबू पाया जा सकता है। इसमें श्रम बाजार के प्रस्तावों के पक्ष में बहस की गई है जिसमें शामिल हैं, श्रम मध्यस्थों द्वारा नियमन और निरीक्षण, श्रम निरीक्षण प्रणालियों को सशक्त बनाना और श्रमिक संघों और रोजगार न्यायाधिकरणों की संलग्नता।

■ **फोर्स्ड लेबर : केस बुक ऑफ कोर्ट केसेज**

न्यायाधीशों, अभियोजकों और कानूनी विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण पुस्तिका. आईएसबीएन 978–92–2–122177–7, जेनेवा, आईएलओ, 2009. 32 अमेरिकी डॉलर, 23 यूरो, 35 स्विस फ्रैंक्स

बलात श्रम और मानव तस्करी उत्पीड़न और शोषण के ऐसे रूप हैं जो कानून प्रवर्तन करने वालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहे हैं। यह केसबुक विकासशील देशों में बलात श्रम और बंधुआ श्रम पर न्यायिक निर्णयों से लेकर औद्योगिकृत देशों में बलात श्रम और तस्करी पर हाल के फैसलों के बारे में जानकारी देती है। यह बताती है कि किस प्रकार राष्ट्रीय अदालतों ने बलात श्रम पर फैसला सुनाते समय, आईएलओ के समझौते के प्रावधानों का प्रयोग किया और यह समझौता किस प्रकार भविष्य के फैसलों का मार्गदर्शन करेगा। यह केसबुक बलात श्रम पर काबू पाने के लिए आईएलओ के विशेष कार्रवाई कार्यक्रम (एसएपी–एफएल) का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक प्रकार के बलात श्रम पर शोध और अध्ययन किए गए हैं और इसके खिलाफ संघर्ष के लिए सभी पक्षों को सशक्त किया गया है। इसका उद्देश्य न्यायाधीशों, अभियोजकों और कानूनी विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना है।

■ **ग्रोथ, इंप्लॉयमेंट एंड पावर्टी रिडक्शन: द केस ऑफ इंडोनेशिया**

इयानतुल इस्लाम और अनीस चौधरी. आईएसबीएन 978–92–2–122001–5, जेनेवा, आईएलओ, 2009. 40 अमेरिकी डॉलर, 27 यूरो, 40 स्विस फ्रैंक्स

इस सामयिक अध्ययन में इंडोनेशिया की वृद्धि, रोजगार और गरीबी उन्मूलन पर बनी नीतियों की समीक्षा की गई है। इसमें वर्ष 1997 के वित्तीय संकट से पहले और बाद की स्थितियों पर विचार किया गया है और आज के नीति निर्धारकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को पेश किया गया है। इंडोनेशिया के श्रम बाजार का विश्लेषण करते हुए और वृद्धि को पोषित करने वाली एवं गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रतिक्रियाओं की खोज करते हुए लेखक बताते हैं कि रोजगार में लचीलेपन का कम होना और वास्तविक वेतन में वृद्धि में गिरावट, वर्ष 1997 से पूर्व की अवधि में श्रम बाजार के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं थीं। प्रभावशाली आलोचकों ने सुझाव दिया कि यह श्रम बाजार के नियमनों का परिणाम था। लेखक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उस नए सुधार के बारे में बताते हैं जो श्रम बाजार संस्थानों को सशक्त करेंगे और सार्वजनिक संरचना में निवेश और मानव विकास पर परिव्यय को प्राथामिकता देंगे।

■ **अ गाइड टू वर्कर्स रिप्लेसमेंट : सम टूल्स फॉर रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स, कम्युनिटी एंड एंटरप्राइजेस**

वर्ष 2009 तक अद्यतन, गैरी बी. हैनसेन, आईएसबीएन 978–92–2–122103–6, जेनेवा, आईएलओ, 2009. 30 अमेरिकी डॉलर, 20 यूरो, 30 स्विस फ्रैंक्स

यह निर्देशिका वर्ष 2001 की श्रम विस्थापन निर्देशिका की अद्यतन है जो कि एशियाई वित्तीय संकट के प्रति प्रतिक्रिया में प्रकाशित की गई थी। यह निर्देशिका प्रथमतया उत्तरी अमेरिका और मध्य तथा पूर्वी यूरोप में संक्रमण प्रक्रियाओं के दौरान के अनुभवों पर आधारित है, यह खोज करती है कि किस प्रकार उपक्रम, समुदाय और श्रमिक वित्तीय संकट के प्रति प्रतिक्रिया कर सकते हैं और किस प्रकार रोजगारों के संभावित नुकसान को कम किया जा सकता है। इसमें समुदायों, उपक्रम प्रबंधनों और श्रमिकों की संस्थाओं द्वारा व्यवसाय बहाली करने तथा तालाबंदियों को टालने की संभावित रणनीतियों को भी शामिल किया गया है। यह निर्देशिका प्रथमतया औद्योगिकृत तथा संक्रमणकालीन देशों के उपयोग के लिए है और इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, नियोक्ताओं और श्रमिकों में उपयुक्त प्रतिक्रिया का विकास करना है ताकि मंदी के दौरान रोजगार तथा श्रमिकों की बहाली को प्रोत्साहित किया जा सके।

■ **इंटरनेशनल एंड कंपेरेटिव लेबर लॉ : करंट चैलेंजेस**

अरटुरो ब्रांसटीन. आईएसबीएन 978–92–2–121202–7, जेनेवा, आईएलओ, 2009. पैलग्रेव मैकमिलन पब्लिशर्स के साथ सह प्रकाशित. 80 अमेरिकी डॉलर, 50 यूरो, 80 स्विस फ्रैंक्स

एक अग्रणी श्रम कानून विशेषज्ञ द्वारा लिखित यह अति मूल्यवान अध्ययन पुस्तक दुनिया भर में 21 वीं सदी के दौरान श्रम कानून द्वारा झेली जा रही चुनौतियों का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। यह खास तौर से श्रम कानून और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, रोजगार संबंध और नियोक्ता/कर्मचारी संबंध में लोगों के मूलभूत अधिकारों, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कार्य और आउटसोर्स किए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित करती है, साथ ही साथ यह क्षेत्रीय स्तर पर श्रम कानून में आए उल्लेखनीय बदलावों पर भी विचार करती है। लेखक वैश्वीकृत युग में श्रम कानून की सार्थकता को बढ़ाने के विभिन्न उपायों के बारे में भी बताते हैं, जिनमें कि आईएलओ समझौतों का अनुमोदन, महत्वपूर्ण व्यापार बाजार वाले क्षेत्रों में श्रम विधायनों का संगतिकरण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संधियों में सामाजिक प्रावधानों का अंतर्वेशन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में निगमित सामाजिक संहिताओं का उपयोग शामिल है।

■ **ऑक्यूपेशनल वेजेज एंड आवर्स ऑफ वर्क एंड रिटेल फूड प्राइजेज**

आईएलओ अक्टूबर जांच के आंकड़े, 2009, आईएसबीएन 978–92–2–022242–3, जेनेवा, आईएलओ, 2009. तीन भाषाओं अंग्रेजी/फ्रेंच/स्पैनिश में उपलब्ध. 70 अमेरिकी डॉलर, 55 यूरो, 85 स्विस फ्रैंक्स

किसी भी व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत जिसकी रुचि कार्य तथा जीवन की परिस्थितियों में होती है, यह त्रिभाषिक प्रकाशन भत्तों, कार्य के घंटों और खाद्य पदार्थों के दायरे पर विस्तृत सूचनाएं प्रदान करता है। 49 उद्योग समूहों के 159 व्यवसायों, और 93 खाद्य पदार्थों के खुदरा दामों को दायरे में लेने वाला यह प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं के लिए अपरिहार्य सांख्यिकीय संसाधन का प्रस्ताव करता है। सीडी रोम : आईएसबीएन 978–92–2–022243–0, जेनेवा, आईएलओ, 2009. विंडोज वर्जन, तीन भाषाओं में अंग्रेजी/फ्रेंच/स्पैनिश में उपलब्ध. सिगल यूजर– 80 अमेरिकी डॉलर, 65 यूरो, 100 स्विस फ्रैंक्स, मल्टी यूजर– 120 अमेरिकी डॉलर, 100 यूरो, 150 स्विस फ्रैंक्स. यह चुनींदा व्यवसायों में भत्तों और कार्य के घंटों तथा चुनींदा खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्यों पर 20 घंटे से अधिक की विस्तृत सूचनाएं प्रदान करता है (1984–2008)। यह सीडी रोम एक व्यापक उपयोग में आसान संदर्भ उपाय है। यह 49 उद्योग समूहो में 159 व्यवसायों और 93 खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्यों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करता है।

■ **द मिनिमम वेज रिविसिटेड इन द एनलार्ज्ड ईयू**

डैनियल वाघान– व्हाइटहेड. आईएसबीएन 978–92–2–121987–3, जेनेवा, आईएलओ, 2009. एडवर्ड एलगर पब्लिशिंग के साथ सह प्रकाशित. 85 अमेरिकी डॉलर, 60 यूरो, 90 स्विस फ्रैंक्स

यह पुस्तक यूरोप में न्यूनतम वेतन का गहरा और नवोन्मेषी विश्लेषण प्रदान करती है, विस्तारित यूरोपीय संघ में अपना महत्व देखते हुए और व्यक्तिगत सदस्य देशों के न्यूनतम वेतनों या यहां तक कि एक समान यूरोपीय संघ न्यूनतम वेतन के बीच संगतिकरण का सवाल उठाते हुए। यह प्रवृत्तियों और प्रभावों, विशिष्ट राष्ट्रीय नीतिगत मुद्दों या औद्योगिक क्षेत्रों के मामलों के अध्ययनों को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की भूमिका की खोज करती है। न्यूनतम वेतन का निर्धारण नीति डेटाबेस के केंद्र में पूरी तरह प्रमुखता से लौट आया है। यूरोपीय संघ के स्तर पर एक जैसे सामान्य नियम बनाने के प्रस्ताव भी यूरोपीय संघ के विस्तार के साथ बहुगुणित हो गए हैं खास तौर से सामाजिक क्षेपण को न्यूनतम करने के लिए। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध यूरोपियन विशेषज्ञों को 15 राष्ट्रीय अध्ययनों को एक साथ लाते हुए, यह सामाजिक संग्रह वर्तमान डेटाबेस के निर्माण को तेज करने का उद्देश्य रखता है।

■ **द प्रॉमिस एंड पेरिल्स ऑफ पार्टिसिपेटरी पॉलिसी मेकिंग**

अनुसंधान श्रृंखला संख्या 117, लूसियो बैकार्ड और कौंस्तान्तिवोस पैपाडकिस, आईएसबीएन 978–92–9014–876–0, जेनेवा, अंतरराष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान, 2008. 18 अमेरिकी डॉलर, 12 यूरो, 18 स्विस फ्रैंक्स

यह पुस्तक नागरिक समुदाय संगठनों और सार्वजनिक नीति में भागीदारीपरक नीति निर्माण की सार्थकता की खोज करती है। क्या नागरिक समुदाय संगठनों का उस समय महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जब उन्हें सीधे नीति निर्माण में संलग्न किया जाता है या उस समय जब वे बाहर से संचालन कर रहे होते हैं? क्या भागीदारीपरक नीति निर्माण सार्वजनिक नीति की सक्षमता और समानता को बढ़ाता है? यह अनुसंधान अंक भागीदार प्रशासन और विमुक्ति के सिद्धांतों की मजबूती के विरोधाभास के साथ इन सवालों के जवाब तलाशता है। इसमें दक्षिण अफ्रीका में किए गए व्यापक फील्ड अनुसंधान को शामिल किया गया है, वह देश जिसने 1990 के दशक की शुरुआत में बड़ी संख्या में भागीदारी वाले नीति निर्माण संस्थापनों की शुरुआत की थी।

■ **सेफ्टी एंड हेल्थ इन अंडरग्राउंड कोलमाइन्स. एन आईएलओ कोड ऑफ प्रैक्टिस**

आईएसबीएन 978–92–2–120162–5, जेनेवा, आईएलओ, 2009. फ्रेंच और स्पैनिश में भी उपलब्ध. 32 अमेरिकी डॉलर, 25 यूरो, 40 स्विस फ्रैंक्स

भूमिगत कोयला खदानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य पर यह व्यवहार संहिता उद्योग और इसकी श्रमशक्ति में आयु के अनेक बदलावों और साथ ही साथ व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य नीतियों में हुए नए घटनाक्रमों तथा व्यावहारिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आईएलओ उपायों में आ चुके बदलावों को प्रतिबिंबित करती है। एक क्षीण, बहु कौशल वाली श्रमशक्ति, नई प्रौद्योगिकी और अल्प आदेशात्मकता, सुरक्षा और स्वास्थ्य को संबोधित करने में अधिक व्यवस्था अभिमुख प्रयास भी इसमें प्रतिबिंबित हुए हैं। संहिता एक राष्ट्रीय संरचना स्थापित करती है जो सक्षम प्राधिकारियों, नियोक्ताओं, श्रमिकों और उनके संगठनों की भूमिकाओं को स्पष्ट करती है। यह खतरों की

पहचान करने, जोखिम को कम करने और उसकी रोकथाम करने और साथ ही साथ, भूमिगत खदानों के कार्य में सुरक्षा के विशिष्ट प्रावधानों की प्रक्रिया विधि भी संकलित करती है।

■ **वर्कप्लेस सॉल्यूशंस फॉर चाइल्ड केयर**

कैथरीन हीन और नाओमी कैशिरेर, आईएसबीएन 978–92–2–122035–0, जेनेवा, आईएलओ, 2009. 40 अमेरिकी डॉलर, 28 यूरो, 40 स्विस फ्रैंक्स

कामकाजी माता–पिताओं के लिए जो कि शिशु देखभाल

के उपाय ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कार्यस्थल भागीदारियां सार्थक होती हैं। इस पुस्तक का ध्यान इस पर है कि क्यों कार्यस्थल सहभागी दुनिया भर में शिशु देखभाल में संलग्न हो गए हैं और उन कार्यक्रमों की प्रकृति क्या है जिन्हें कि लागू किया जा चुका है। सहभागिता एक मुख्य विषयवस्तु है और लेखक उन गठबंधनों की परिणाम देने की क्षमता को रेखांकित करते हैं जिन्होंने विभिन्न कारकों की क्षमताओं और संसाधनों को एकजुट किया है। दस देश जिनमें कि औद्योगीकृत और विकासशील दोनों शामिल हैं, शिशु देखभाल के लिए नीतियां और सुविधाओं तथा श्रमरत माता–पिताओं के लिए उनके निहितार्थों के राष्ट्रीय अवलोकन के आधार पर परखे गए हैं जिसके बाद विभिन्न कार्यस्थलों के मामलों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक नीति निर्माताओं और कार्यस्थल सहभागियों पर केंद्रित है जो कि कामकाजी माता–पिताओं के लिए उनके शिशुओं की देखभाल की जरूरतों में मदद करने के व्यावहारिक हल खोजने में जुटे हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय श्रम समीक्षा, अंक 148 (2009), संख्या 1–2

■ **द ग्लोबल क्राइसिस, सोशल प्रोटेक्शन एंड जॉब्स**

जोसेफ स्टिग्लिट्ज

वर्ष 2008 की वित्तीय मंदी के प्रति नीति प्रतिक्रियाओं और सकल मांग की गिरावट बड़े पैमाने पर घरेलू हितों के कारण हुई थी। पुनरुत्थानशील वित्तीय संरक्षणवाद, बैंकों को मदद और राष्ट्रीय स्तर के राहत पैकेज प्रतियोगिता और प्रोत्साहन को गड़बड़ा रहे हैं जो कि विकासशील देशों के लिए हानिकारक हैं, इससे बेहद आवश्यक सामाजिक संरक्षण पर होने वाला खर्च और अंततः वैश्विक अर्थव्यवस्था की तेज क्षतिपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। वर्तमान संकट की रोजगारों को क्षति पहुंचाने की क्षमता को कम आंकने के खिलाफ चेतावनी देते हुए लेखक एक वास्तविक वैश्विक राहत पैकेज देने, जिनके साथ आर्थिक प्रतिमान और विनियामक नीतियों पर पुनर्विचार, विकासशील देशों को वित्तीय मदद, एक कम बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अर्थव्यवस्थाओं के एक स्वयंचालित स्थायित्व तंत्र के रूप में सामाजिक संरक्षण का तर्क देते हैं।

■ **वर्क मोर टु अर्न मोर द मिक्स्ड फीलिंग ऑफ यूरोपियंस**

लूसी डावोने और डोमिनिक मेडा

क्या यूरोपीय लोग अधिक या कम कार्य करने को प्राथमिकता देंगे? वे समाज में कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे? सर्वेक्षण सुझाव देता है कि वे कार्य को सर्वाधिक महत्व देते हैं, यद्यपि एक अनुपात ऐसे लोगों का भी है जो यह देखना चाहते हैं कि काम उनके जीवन में अधिक स्थान न ले लें। इस विरोधाभास की व्याख्या कैसे करें? अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों के निष्कर्षों के प्रकाश में तीन परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया : कार्य के संबंध में न्यून अपेक्षाएं,उन अपेक्षाओं और निराशाजनक श्रम बाजार अनुभवों में अंतर और अंत में दूसरी गतिविधियों के लिए अधिक समय देने की इच्छा। आलेख कुछ नीति सुझावों के साथ संपन्न होता है।

■ **द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ लेबर लॉ**

अंतोनियो ओजेदा एविलस

श्रम कानून समायोजनों की शक्तिशाली श्रृंखला, जिसे कि पिछले तीन दशक के, विशेषज्ञों ने विखंडन के एक रूप में– उसे विघटन न कहा जाए– पृथक उपक्षेत्रों के रूप में देखा है, एक आम प्रवृत्ति के रूप में बदल रही है जो कि ढांचागत आयाम का स्वरूप ले रही है। एक विस्तारित प्रेरणा श्रम कानूनों को एक अलग ही क्षेत्र में ले जा रही है जिससे उसकी पहचान और परंपरागत सीमाएं टूट रही हैं, हालांकि यह पारस्परिक प्रभावों का सांकेतिक विनिमय है। इस लेख में विस्तार के उन छह मार्गों का विश्लेषण है जिन्हें यूरोप और कुछ अमेरिकी और एशियाई देशों में देखा गया है।

■ **टुवर्ड्स सोशली सेंसिटिव कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग? कमपेरेटिव रिमार्क्स ऑन कलेक्टिव बारगेनिंग डेवलपमेंट्स इन जर्मनी, फ्रांस और इटली**

गायडो बोनी

वैश्वीकरण के संदर्भ में निरंतर बदलते बाजार व्यक्तिगत फर्मों में प्रतिस्पर्धात्मकता की दीर्घकालीन रखने के लिए तेजी से और निरंतर पुनर्गठन का आह्वान कर रहे हैं। इसके मद्देनजर नौकरियों में कटौती को कम करते हुए, प्रमुख यूरोपीय देशों में सामाजिक भागीदारों ने ऐसी विकेंद्रीकृत प्रणालियों को अभिकल्पित किया है जो सामूहिक सौदेबाजी के परंपरागत राष्ट्रीय मॉडलों पर प्रश्नचिन्ह लगाए बिना स्थानीय स्तर के लचीलेपन को बढ़ाती हैं। जर्मनी के औद्योगिक समझौतों की प्रारंभिक धाराओं, फ्रांस के कंपनी स्तरीय अपकर्ष समझौतों और श्रमशक्ति नियोजन पर अनिवार्य सौदेबाजी और इटली के त्रिस्तरीय प्रादेशिक समझौतों के प्रयोगों का विश्लेषण करते हुए, लेखक यूरोप में सामाजिक रूप से संवेदनशील पुनर्गठन को समर्थन देने के लिए एक अधिराष्ट्रीय संरचना का आग्रह करते हुए लेख का समापन करते हैं।

■ **स्टूडेंट लेबर एंड अकादमिक प्रोफिशियेंसी इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव**

डेविड पोस्ट और सुएट लिंग पोंग

अंतरराष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन में वर्ष 2003 की प्रवृत्तियों पर आधारित इस लेख में लेखक द्वय पता लगाते हैं कि कुछ देशों में विद्यार्थियों के रोजगार और शैक्षिक उपलब्धियों में नकारात्मक संबंध है– यह अंतर देश विशेष में कार्य के अवसरों और जरूरतों पर निर्भर करते हैं। अमेरिका के वर्ष 2004 के शैक्षिक देशांतरीय सर्वेक्षण पर नजर डालने से यह पता चलता है कि रोजगार और गणित में प्रवीणता के बीच वक्ररेखीय संबंध है : हर हफ्ते 10 घंटे से अधिक कार्य करने से संतुलित सकारात्मक असर होता है, 10–18 घंटे से कोई असर नहीं पड़ता और 20 घंटे से अधिक कार्य करने से नकारात्मक असर पड़ता है। इसके बाद कार्य के घंटों के संभव समूहों की सहायक उपादानों के साथ जांच की गई।

■ **टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनकम डिस्ट्रिब्यूशन इन यूरोप**

किस्टियानो पेरुगिनी और फेब्रिजियो पोमपोई

यह लेख 14 यूरोपीय संघ देशों में तकनीकी बदलाव और आय असमानता के बीच संबंधों के अनुभवजन्य प्रमाण प्रस्तुत करता है। यह विश्लेषण, तकनीकी गहनता के विभिन्न स्तरों वाले क्षेत्रों में कुशलता अभिनत तकनीकी परिवर्तन (एसबीटीसी) परिकल्पना की जांच से शुरू होता है। तकनीक की कुशलता संपूरकता और निवेश की प्रबलता से कुशलता प्रतिस्थापन के चरित्र की पुष्टि करने के बाद, लेखक कहते हैं कि आय असमानता का संभवित निर्धारक है, कुशलता– श्रम मांग में क्षेत्रगत परिवर्तन। विश्लेषण में एसबीटीसी और विचारणीय आठ में से पांच क्षेत्रों में असमानता के बीच वक्ररेखीय संबंध दर्शाया गया है और विपरीत यू आकार के पैटर्न की सलाह दी गई है जिनकी समय–समय पर श्रम मांग और आपूर्ति के नियोजनों के स्तरों पर व्याख्या की जा सके।

■ **नोट्स और बहस :**

ट्रांसनेशनल कलेक्टिव बारगेनिंग इन यूरोप : द केस फॉर लेजिसलेटिव ऐक्शन एट ईयू लेवल

एडुअर्डो एलेस

अ सुप्रीम कोर्ट चैलेंज टू अर्जेंटीनाज ट्रेड यूनियन मॉडल

एंड्रियान गोल्डिन

कोर लेबर स्टैंडर्ड्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जॉर्ज डब्ल्यू. बुश

क्रिस्टोफर कैंडलैंड

लेबर स्टैटिस्टिक्स : द बाउंडरीज एंड डायवर्सिटी ऑफ वर्क

पैट्रिक बोल

अंतरराष्ट्रीय श्रम समीक्षा का आगामी विशेष अंक, अंक 148 (2009), संख्या 3 (सितंबर)

लैटिन अमेरिका के नव उदारवादी प्रयोग से प्राप्त शिक्षा : संकट से संकट तक

अंतरराष्ट्रीय श्रम समीक्षा का आगामी विशेष अंक लैटिन अमेरिका की श्रम और सामाजिक नीति पर नव उदारवादी सुधारों के असर का आकलन करता है। इस अंक में लायडिया फ्रेल लिखित प्रस्तावना और छह केस स्टडीज हैं। इनमें जिन देशों को शामिल किया गया है, वे हैं अर्जेंटीना (लेखक–एम.नोविक, एम. लेंगयेल और एम. साराबाई), बोलीविया (लेखक– एफ. वानडरले), ब्राजील (लेखक– एम. पोचमैन), चिली (लेखक–एम. रीसको), मेक्सिको (लेखक– एम.सी. बायन) और उरुग्वे (लेखक– एफ. फिलबुरिया और पी. एलग्रे)।

दो दशक तक नव उदारवाद संबंधी गहन प्रयोगों के बाद लैटिन अमेरिका स्वयं को दो राहे पर खड़ा पा रहा है। 1980 के दशक में ऋण संकट के पश्चात इस क्षेत्र ने आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण और राज्य के हस्तक्षेपों पर आधारित अपनी पूर्व की विकास रणनीति को छोड़कर, विश्व अर्थव्यवस्था में अधिक एकीकरण और बाजार की बड़ी भूमिका पर जोर देना शुरू किया। इस महाद्वीप के सभी देशों ने वाशिंगटन सामंजस्य को अंगीकार किया। यह ऐसा नीति समूह है जो वृहद आर्थिक अनुशासन और ढांचागत सुधार, व्यापार और निवेश प्रवाह को मुक्त करने और तीव्र अविनियमन व निजीकरण पर जोर देता है। विशेष रूप से, इन सुधारों के माध्यम से श्रम में लचीलापन आता है, सामाजिक सहायता को लक्षित किया जाता है और निजी क्षेत्र के प्रावधानों पर निर्भरता बढ़ती है, साथ ही पेंशन प्रणालियों में आंशिक निजीकरण किया जाता है।

हालांकि विभिन्न देशों में सुधारों के समय और गति में अंतर था, 1990 के मध्य तक सभी देश अभिसरण के उच्चतम स्तर तक पहुंच गए। फिर भी सुधारों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। यहां की आर्थिक वृद्धि बहुत कमजोर और अस्थिर थी, और अधिकतर देश वित्तीय संकट से प्रभावित होने लगे। यहां सामाजिक परिणाम भी निराशाजनक थे। गरीबी कम होने की रफ्तार बहुत धीमी थी, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, आय असमानता के स्तर बहुत उच्च थे, सामाजिक संरक्षण में कमी हो रही थी और अनौपचारिक क्षेत्र उभर रहे थे।

1990 के दशक के अंत तक, लैटिन अमेरिका की राजनीति ने वाम रुख ले लिया। पहले के सुधारों पर विचार किया जाने लगा, जिनके साथ अच्छे सामाजिक परिणाम हासिल किए गए थे। हालांकि यह अभी देखा जाना है कि क्या हाल के परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव को, वर्तमान वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक संकट के दौर में बरकरार रखा जा सकेगा।

फ्लैश न्यूज : वॉच देम नाऊ

डीसेंट वर्क

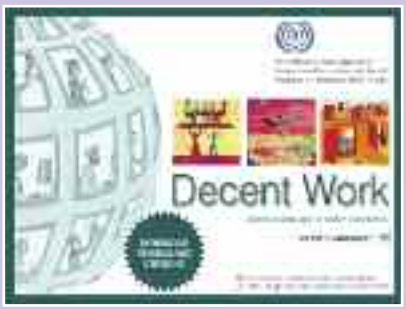

http://www.ilo.org/public/english/dw/index.htm

लेट चिल्ड्रेन ब्लूम

http://www.ilo.org/public/english/wdacl/flash09/index.htm

एजुकेशन, द राइट रिस्पांस टू चाइल्ड लेबर

http://www.ilo.org/public/english/child/ilo-cl-en.htm

जेंडर इक्वालिटी एट द हार्ट ऑफ डीसेंट वर्क

http://www.ilo.org/public/english/gender/index.htm

काउंट ऑन अस : डीसेंट वर्क फॉर पीपुल विद डिसेबिलिटीज

http://www.ilo.org/public/english/disability/countusin/index.htm

ब्रिकी के लिए आईएलओ के प्रकाशन बड़े पुस्तक विक्रेताओं या विभिन्न देशों में स्थित आईएलओ के स्थानीय कार्यालयों या सीधे आईएलओ थियेटर कोर्ट, तीसरी मंज़िल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नयी दिल्ली–110 003 से प्राप्त किये जा सकते हैं। दूरभाषः 24602101, 2462102, फैक्सः 24602111, ई–मेलः delhi@ilo.del.org

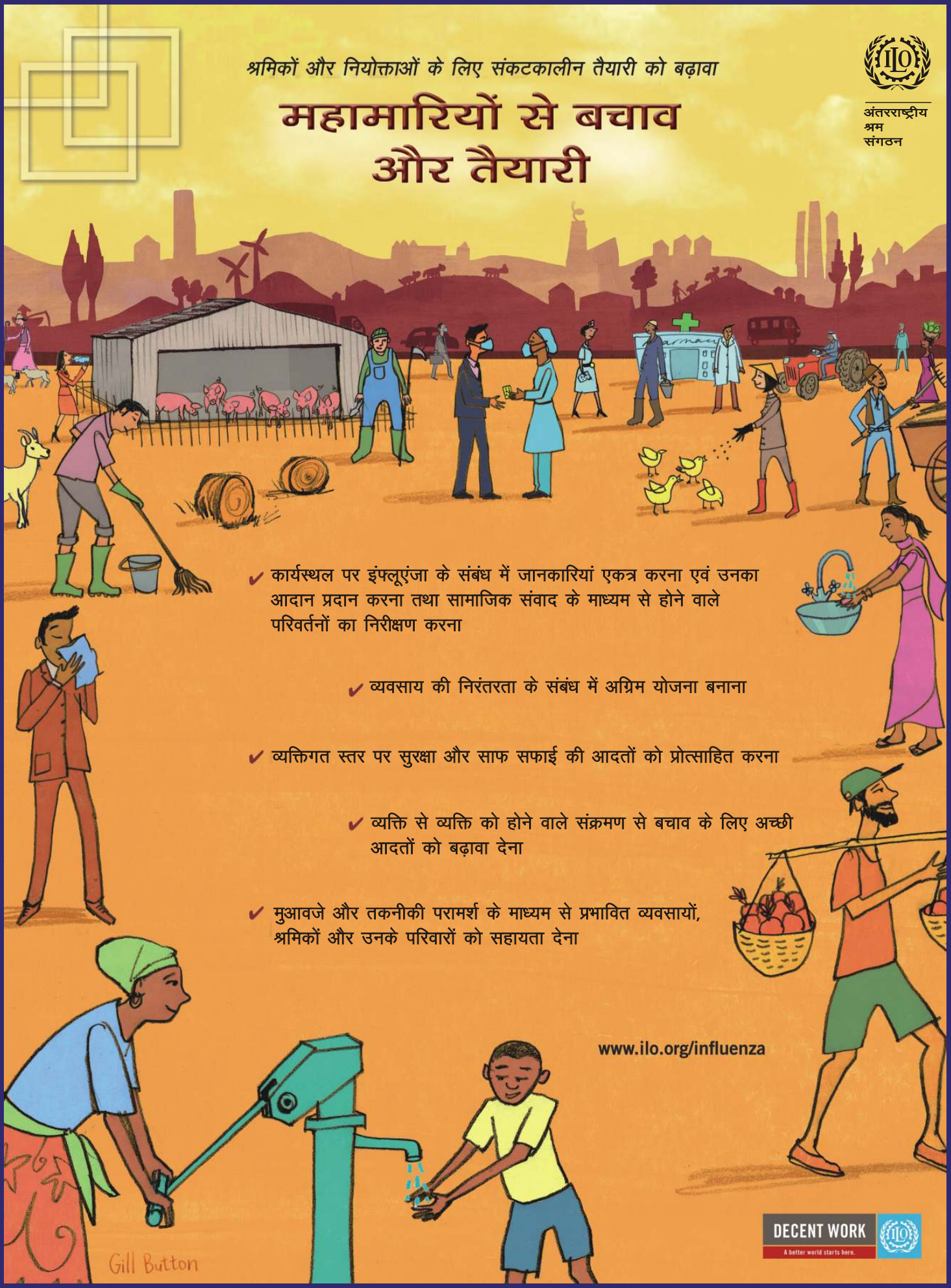
श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए संकटकालीन तैयारी को बढ़ावा
महामारियों से बचाव और तैयारी
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
✔ कार्यस्थल पर इंफ्लूएंजा के संबंध में जानकारियां एकत्र करना एवं उनका आदान प्रदान करना तथा सामाजिक संवाद के माध्यम से होने वाले परिवर्तनों का निरीक्षण करना
✔ व्यवसाय की निरंतरता के संबंध में अग्रिम योजना बनाना
✔ व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षा और साफ सफाई की आदतों को प्रोत्साहित करना
✔ व्यक्ति से व्यक्ति को होने वाले संक्रमण से बचाव के लिए अच्छी आदतों को बढ़ावा देना
✔ मुआवजे और तकनीकी परामर्श के माध्यम से प्रभावित व्यवसायों, श्रमिकों और उनके परिवारों को सहायता देना
www.ilo.org/influenza
Gill Button
DECENT WORK
A better world starts here.